



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022020-215928
CG-DL-E-05022020-215928

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1941

No. 46]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1941

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2020

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020

फा. सं. अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/विनियम/2020.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फाईल संख्या : अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/विनियम/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

प्रस्तावना :-

गुणवत्ता अनुरक्षित करने के प्रयोजनार्थ तथा तकनीकी संस्थाओं को एक संगठित तरीके से विनियमित करने/उन्हें सुविधा प्रदान करने, ताकि वे अभातशिप के आदर्शों के अनुरूप मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें और तकनीकी संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान बनने हेतु सक्षम वातावरण का सृजन करने के लिए, अभातशिप, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1		संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :
	1.1	इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 है।
	1.2	ये विनियम निम्नलिखित डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री के स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम प्रदान कर रही/प्रदान करने के लिए संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए आवेदनों पर लागू होंगे :-
		क. नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए ;
		ख. स्व-प्रकटन आधार पर अनुमोदन का विस्तार ;
		ग. अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना ;
		घ. स्थान/स्थिति में परिवर्तन ;
		ङ. डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय ;
		च. विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम/स्तर आरम्भ करना ;
		छ. एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना;
		ज. पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन में विस्तार करना/प्रवेश-क्षमता को बहाल करना ;
		झ. विद्यमान संस्थाओं में भेषजी (फार्मसी) में डिग्री/डिप्लोमा आरंभ करना ;
		ञ. "विदेशी राष्ट्रिक/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना ;
		ट. महिला संस्था का सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय ;
		ठ. प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) में वृद्धि ;
		ड. एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना ;
		ढ. संस्था को बंद करना ;
		ण. पीजीडीएम पाठ्यक्रम(मों) को एमबीए पाठ्यक्रम(मों) में परिवर्तित करना एवं इसके विपर्यय ;
		त. एमसीए कार्यक्रमों को बंद करना तथा एमबीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम आरंभ करना तथा इसके विपर्यय ;
		थ. पाठ्यक्रमों को संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बदलना ;
		द. प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना ;
		ध. पाठ्यक्रम(मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रम(मों) का विलय करना/प्रवेश-क्षमता में कमी/कार्यक्रम(मों) /पाठ्यक्रम(मों) को बंद करना ;
		न. संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन/संस्था के प्रकार में परिवर्तन;
		प. अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति (दर्जे) में परिवर्तन ;
		फ. बैंक के नाम में परिवर्तन ;
		ब. न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन ;
		भ. अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना ;
		म. तकनीकी शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं टिविनिंग कार्यक्रम

		य.	मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम रीति द्वारा पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना/पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि/मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रमों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करना/बन्द करना ; तथा
		कक.	व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना/पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि/ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करना/बन्द करना।
	1.3		ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
	1.4		सी.ए. संख्या 364/2005 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए दिनांक 08.11.2019 के आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों का संचालन करने का आशय रखने वाली/संचालित कर रही संस्थाओं के लिए वास्तुकला परिषद् द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा, तथापि ऐसे इच्छुक संस्थान अनुमोदन के लिए अभातशिप को आवेदन कर सकेंगे।
2			परिभाषाएं :
			इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
	2.1		"शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय/बोर्ड/तकनीकी संस्था के शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक कार्यक्रम (विषय सैमेस्टर के बाद सम सैमेस्टर) है।
	2.2		"अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52)।
	2.3		"अनुबद्ध (एंडजैक्ड) संकाय" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स परसन) अभिप्रेत है।
	2.4		"शपथ-पत्र" तथ्यों का एक लिखित शपथ लिया गया वक्तव्य है जो विधि द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिसाक्षी को दिलाई गई शपथ अथवा प्रतिज्ञान के अधीन उसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया है। ऐसे वक्तव्य को शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा अभिसाक्षी के हस्ताक्षर की प्रमाणिकता के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, जैसेकि नोटरी पब्लिक अथवा कमिश्नर ऑफ ओथ (शपथ)।
	2.5		"अभातशिप के वेब-पोर्टल" से अभिप्रेत है यूआरएल www.aicte-india.org पर परिषद् द्वारा होस्ट की गई वेबसाइट।
	2.6		"आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन करता है।
	2.7		"अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)" से अभिप्रेत है जो अभातशिप द्वारा समय समय पर संस्थानों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों हेतु जमा किए जाने वाले आवेदनों पर प्रक्रमण हेतु मानक निर्धारित करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका।
	2.8		"अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्था।
	2.9		"अनुमोदित प्रवेशक्षमता" से अभातशिप द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या अभिप्रेत है (अधिसंख्य सीटों को छोड़कर)।
	2.10		"स्वायत्त संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्ता प्रदान की गई हो तथा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के परिनियमों द्वारा इस रूप में अभिहित किया गया हो अथवा अभातशिप द्वारा स्टैंडअलोन संस्थाओं के रूप में स्वायत्ता प्रदान की गई हो।
	2.11		"अनुमोदन में विस्तार (ईओए) में रोक (ब्रेक)" से संस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष (षी) में प्राप्त किए गए अनुमोदन को रोकने से अभिप्रेत है।

2.12		"निर्माण-प्रचालन-अंतरण (बीओटी)" से ऐसी परियोजना का वित्त-पोषण अभिप्रेत है जिसमें कोई निजी सत्ता रियायत संविदा में वर्णित सुविधा को वित्त-पोषित, डिजाईन, निर्मित और प्रचालित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से रियायत प्राप्त करती है।
2.13		"अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (4)(क) के अंतर्गत यथावर्णित अभातशिप का अध्यक्ष।
2.14		"सह-शिक्षा संस्थान" से पुरुषों, महिलाओं एवं विपरीतलिंगी (ट्रांसजैन्डर) विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले संस्थान अभिप्रेत है।
2.15		"आयोग" से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अभिप्रेत है।
2.16		"कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित/पंजीकृत की गयी कम्पनी अभिप्रेत है।
2.17		"दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा संगठन जिसके पास संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र में तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए विधिक रूप से अभिहित प्राधिकार, क्षमता अथवा शक्ति है।
2.18		"अनुपालन रिपोर्ट" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट की गई अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा पाई गई/कारण बताओ नोटिस में जारी की गई कमियों को पूरा करने के संबंध में दी गई अनुपालन रिपोर्ट में तकनीकी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है।
2.19		"घटक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में कोई संस्था/विभाग/महाविद्यालय/स्कूल।
2.20		"परिषद्" से अभातशिप अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है।
2.21		"पाठ्यक्रम" से किसी कार्यक्रम में शिक्षण की शाखा अभिप्रेत है, जैसेकि सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक (मैकेनिकल) इंजीनियरी इत्यादि।
2.22		"प्रभाग" से अभिप्रेत है ;
	क.	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों, एमसीए/पीजीसीएम/पीजीडीएम/एमबीए में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	ख.	डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रम में साठ (60) सीटों का एक बैच तथा भेषजी कार्यक्रम में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में अधिकतम सौ (100) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	ग.	वास्तुकला/योजना कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	घ.	अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	ड.	डिजाईन कार्यक्रम के डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	च.	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/योजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम तीस (30) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
	छ.	वास्तुकला कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम बीस (20) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;

		ज.	डिजाईन कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
		झ.	भेषजी कार्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम पन्द्रह (15) सीटों, भेषजी-डी (डी-फार्मा) में अधिकतम 30(तीस) सीटों का, फार्मा-डी (पोस्ट बैकालॉरिएट) में अधिकतम 10 (दस) सीटों का एक बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
		ञ.	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए कार्यक्रम एवं एमबीए कार्यक्रमों के एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में अधिकतम साठ (60) सीटों का एक बैच जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
		ट.	योजना कार्यक्रमों के एकीकृत पाठ्यक्रम में अधिकतम चालीस (40) सीटों का बैच, जिसमें अधिसंख्य सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं ;
		ठ.	प्रबंधन में अध्येता (फैलो) कार्यक्रम में प्रतिवर्ष अधिकतम बीस (20) सीटें।
	2.23		"अनुमोदन में विस्तार (ईओए)" से अभातशिप द्वारा उस शैक्षणिक वर्ष में संस्थानों को तकनीकी कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को चलाने के लिए दिया गया अनुमोदन में विस्तार अभिप्रेत है। "विस्तारित किया गया ईओए (अनुमोदन में विस्तार)" से अभातशिप द्वारा एक से अधिक शैक्षणिक वर्षों के लिए संस्थानों को तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए दिया गया अनुमोदन में विस्तार अभिप्रेत है।
	2.24		"कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन गठित समिति।
	2.25		"विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी)" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दी गई संरचना के अनुसार आवेदक संस्थाओं की भौतिक एवं ढांचागत सुविधाओं को सत्यापित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
	2.26		"संकाय सदस्य" से किसी संस्था/विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अभातशिप विनियम के अनुसार अर्हकता प्राप्त की हो।
	2.27		"प्रथम पाली समयावधि" से प्रातः 8 से सायं 3 बजे तक तकनीकी संस्था में चलाए जाने वाले शैक्षणिक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं।
	2.28		"विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि ओसीआई/पीआईओ के अधीन परिभाषित है।
	2.29		"सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था" से ऐसी तकनीकी संस्था अभिप्रेत है, जो अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भाग की पूर्ति सरकार अथवा सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुदान से करती है।
	2.30		"सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है पूर्णतयः सरकार द्वारा स्थापित और/अथवा अनुरक्षित तकनीकी संस्था।
	2.31		"संस्था का प्रमुख" से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय संस्था के मामले में कुलपति, निर्दिष्ट तकनीकी संस्था के संदर्भ में संस्था का प्राचार्य/निदेशक/संस्था के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कोई अन्य पदधारी।
	2.32		"मानित विश्वविद्यालय संस्था" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा के लिए संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा "मानित विश्वविद्यालय संस्थान" घोषित किया गया हो।
	2.33		"पार्श्विक प्रवेश" से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार विद्यार्थियों को डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश अभिप्रेत है।
	2.34		"स्तर" से डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र, स्नातकपूर्व डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है।

2.35		“अल्पसंख्यक संस्था” से ऐसा शिक्षा संस्था अभिप्रेत है, जिसे अल्पसंख्यक अथवा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया हो तथा प्रशासित किया जाता हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में निर्दिष्ट अवधि तक मान्यता प्रदान की गई हो।
2.36		“राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल (एनबीए)” से प्रारम्भ में अभातशिप द्वारा सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत करके स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल अभिप्रेत है।
2.37		“मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति(ओ.डी.एल.)” से अभिप्रेत मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति (ओ.डी.एल.) पद्धति का अभिप्राय एक व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सहित एक स्टैंडअलोन संस्था या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एमओओसीएस (मूक्स), ऑनलाइन और यदा-कदा आपने-सामने संपर्क बैठकें आयोजित करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई को पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
2.38		“अंशकालिक समयावधि कार्यक्रमों” से अभिप्रेत है तकनीकी संस्था में सायं 5:30 से रात्रि 9:30 तक संचालित किये जाने वाले शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा यह केवल कार्यरत व्यावसायियों अथवा कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले व्यावसायियों के लिए ही होगी। पाठ्यक्रम की अवधि नियमित पाली में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की समयावधि से कम से कम एक/दो सत्रों तक अधिक होगी।
2.39		“निजी विश्वविद्यालय” से राज्य/केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालय जोकि किसी प्रायोजित निकाय द्वारा जैसेकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी अथवा उसी समय में राज्य में लागू अन्य संबंधित कानून के अंतर्गत स्थापित सोसायटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है।
2.40		“कार्यक्रम” से अभिप्रेत है तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र, अर्थात् इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, भेषजी, वास्तुकला एवं नगर आयोजना, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प तथा डिजाईन, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, एमसीए, प्रबंधन (पीजीसीएम/पीजीडीएम/एमबीए), अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम/विषय-क्षेत्र जो अभातशिप अधिनियम, 1987 द्वारा अधिसूचित किए जाएं।
2.41		“सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)” से एक सरकारी अथवा स्वायत्त इकाई तथा दूसरी तरफ निजी सैक्टर इकाई के बीच अनुबंध एवं विशेष सुविधा आधारित समझौते में सहभागिता अभिप्रेत है।
2.42		“क्षेत्रीय समिति (आरसी)” से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम 1987 की धारा 14 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थापित एक समिति।
2.43		“नियमित पाली समयावधि” से प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (इस समयावधि में) तकनीकी संस्था के शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं अभिप्रेत है।
2.44		संस्थान की “प्रवेशक्षमता के लिए पूर्व स्थिति की प्राप्ति (रिस्टोरेशन ऑफ इनटेक)” से, किसी भी दण्डात्मक कार्रवाई से पूर्व संस्थान की “अनुमोदित प्रवेशक्षमता” के अनुसार ही उसकी विद्यमान प्रवेश-क्षमता को बहाल करना अभिप्रेत है।
2.45		“द्वितीय पाली समयावधि” से दोपहर 12 बजे से सायं 7:00 बजे तक में तकनीकी संस्था में चलाए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है।
2.46		“स्व-वित्तपोषित संस्था” से अभिप्रेत है किसी सोसाईटी/न्यास/कंपनी द्वारा शुरू की गई कोई संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान/निधि प्राप्त नहीं करती है।
2.47		“सोसाईटी” से अभिप्रेत है सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाईटी।

	2.48		"स्टैण्डअलोन संस्थान" से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं परंतु वे नियमित पाठ्यक्रमों को संचालित करते हुए शिक्षा प्रदान कर रही हैं जिनके फलस्वरूप प्रबंधन, यात्रा एवं पर्यटन, अभिनवता एवं उद्यमवृत्ति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और डिजाईन में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।
	2.49		"स्थाई अपीलीय समिति (एसएसी)" से तकनीकी संस्थाओं की अपील पर विचार करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
	2.50		"स्थाई शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी)" से तकनीकी संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है।
	2.51		"स्थाई सुनवाई समिति (एसएचसी)" से विशेषज्ञ दौरा समिति की (ईवीसी) रिपोर्ट तथा कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में प्राप्त उत्तरों की समीक्षा करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।
	2.52		"राज्य स्तरीय शुल्क समिति" से तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रभारित किए जाने वाले शुल्क के विनियमन हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित समिति अभिप्रेत है।
	2.53		"अधिसंख्य सीटों" जिनमें टीएफडब्ल्यू, ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए, पार्श्विक प्रवेश, पीडब्ल्यूडी तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए पीएमएसएसएस, के लिए समय-समय पर अधिसूचित सीटें शामिल होंगी जो "अनुमोदित प्रवेशक्षमता" की सीमा से अधिक होंगी।
	2.54		"तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, भेषजी, वास्तुकला और आयोजना, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प एवं डिजाईन, होटल प्रबंधन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी, एमसीए, प्रबंधन तथा अभातशिप अधिनियम, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए ऐसे ही क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध के क्षेत्र में कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) संचालित करने हेतु सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्व-वित्त-पोषित न्यास/सोसाईटी/कम्पनी संस्था अभिप्रेत है।
	2.55		"कुल अनुमोदित प्रवेशक्षमता" से, किसी संस्था के सभी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) की प्रवेशक्षमता को शामिल करते हुए कुल अनुमोदित प्रवेशक्षमता अभिप्रेत है।
	2.56		"न्यास" से अभिप्रेत समय-समय पर संशोधित किए गए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत न्यास अभिप्रेत है।
	2.57		"विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड(च) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।
	2.58		"विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित विभाग अभिप्रेत है।
	2.59		इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा, जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।
3			अनुमोदन प्रदान करने की प्रासंगिकता
	3.1		इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्
		क.	नई तकनीकी संस्थाएं, चाहे वे सरकारी/सरकार द्वारा सहायताप्राप्त अथवा स्व-वित्तपोषित हों, केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही आरंभ की जाएंगी।
		ख.	विद्यमान सरकारी/सरकार द्वारा सहायताप्राप्त/स्ववित्त-पोषित संस्थाएं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (श्रेणी-1/ II के सिवाय) केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के

			उपरांत ही या तो विद्यमान पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करेंगी/उनकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती करेंगी अथवा किसी भी स्तर पर नियमित रीति से नए कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को प्रारंभ करेंगी।
		ग.	किसी भी स्थिति में, किसी तकनीकी संस्था को अभातशिप तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
		घ.	संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड ऐसी तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश दिए गए छात्रों को नामांकित नहीं करेगा, जिनके पास परिषद् का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन नहीं होगा।
		ड.	केन्द्रीय/राज्य सरकार/संबंधित संघ राज्यक्षेत्र छात्रों को किसी ऐसी तकनीकी संस्था के किसी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देंगे जिनके पास परिषद् का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन नहीं होगा।
		च.	तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों) को संचालित करने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देंगी।
		छ.	विद्यमान स्टैण्डअलोन संस्थाएं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं केवल परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों या तो विद्यमान पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करेंगी/उनकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कटौती करेंगी अथवा किसी भी स्तर पर नए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करेंगी।
	3.2	क.	पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में रिक्त सीटों की विशाल संख्या तथा संभावित भावी मांग को ध्यान में रखते हुए, परिषद् अभातशिप द्वारा तकनीकी कार्यक्रमों की भावी संदर्श योजना बनाने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार डिप्लोमा/स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर के इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की नई संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी, तथापि, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में नई संस्थाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन केवल अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में समय-समय पर विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किए गए मामलों में ही प्रदान किया जाएगा।
		ख.	उभरते हुए क्षेत्रों में माईनर डिग्री/आनर्स के साथ स्नातक पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों को अनुमति अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार ही दी जाएगी।
		ग.	भेषजी में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नई भेषजी संस्थाओं की स्थापना की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। तथापि, भेषजी में नई संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।
4			अनुमोदन के लिए सामान्य शर्तें
	4.1	क.	आवेदक तकनीकी संस्थान का नाम इस प्रकार से नहीं रखेगा कि तकनीकी संस्था के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम/आईआईटी/आईआईएससी/एनआईटी/एआईसीटीई/यूजीसी/एमएचआरडी/जीओआई बनता हो। आवेदक तकनीकी संस्था के नाम में कहीं भी सरकार/भारत/भारतीय/राष्ट्रीय/अखिल भारतीय/अखिल भारतीय परिषद्/आयोग तथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत यथा प्रतिषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग नहीं करेगा। परंतु यह कि यदि तकनीकी संस्था को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तो उन पर ऊपर उल्लिखित प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
		ख.	ऐसी संस्थाओं को, जिन्हें उन शब्दों के साथ पहले से ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, संस्था के नाम से उस शब्द को परिवर्तित करने/हटाने के लिए अनुदेश दिया जाएगा, जिससे कि हितधारक उन्हें सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के रूप में मानने की भूल करते हैं।

			यदि कोई संस्था (सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था के अलावा), संस्था के नाम में 'भारतीय' 'राष्ट्रीय' आदि शब्दों का प्रयोग करना जारी रखती है, तो परिषद् अनुमोदन का विस्तार (ईओए) पत्र जारी करते समय ऐसे शब्दों को हटा देगी।
		ग.	आवेदक/संस्थाएं राज्य के भीतर विद्यमान संस्थाओं के नामों का प्रयोग नहीं करेंगी।
4.2			मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशों जैसे "शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/वामपंथी (एलडब्ल्यूई) प्रभावित" जिलों में तकनीकी संस्था स्थापित करने के लिए "पॉलिटेक्निक संबंधी उप-अभियान" की योजना, सभी वित्तीय संव्यवहारों के लिए डिजिटल भुगतान, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी), भारत में अध्ययन तथा कोई अन्य योजना(ओं) का अनुपालन किया जाएगा, जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
4.3			अभातशिप दूरस्थ रीति से संचालित किए गए तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को मान्यता नहीं देती है, सिवाए प्रबंधन, एमसीए तथा यात्रा और पर्यटन के डिप्लामा/डिग्री कार्यक्रमों के, जिन्हें अभातशिप का स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया गया हो।
4.4			शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, किसी तकनीकी संस्था में 60 प्रतिशत अर्हक पाठ्यक्रम आगामी 3 वर्ष की अवधि में प्रत्यायित किए जाने होंगे, अन्यथा परिषद् द्वारा ईओए जारी नहीं किया जाएगा।
4.5			निरंतर अत्यंत अल्प प्रवेश (meager) के पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं के संबंध में परिषद् के अनुमोदन से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
4.6			अधिसंख्यक सीटें
		क.	अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में विदेशी राष्ट्रिक/भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) छात्रों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को प्रवेश देने के लिए प्रति पाठ्यक्रम 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के अतिरिक्त पन्द्रह प्रतिशत (15 प्रतिशत) अधिसंख्यक सीटें अनुमोदित की जाएंगी। इन 15 प्रतिशत सीटों का एक-तिहाई (1/3) खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित होगा। किसी निश्चित पाठ्यक्रम में खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए आरक्षित 1/3 सीटों में से रिक्त सीटें ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिकों के लिए आरक्षित दो-तिहाई सीटों को और इसके विपर्यय लौटाई जाएंगी। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत "विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों" में से रिक्त रही कोई सीट, एनआरआई के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्याधीन एनआरआई सीटों से भरी जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रवेश के अंतिम चक्र के उपरांत 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' में रिक्त रही कोई सीट उक्त सीटों के लिए अभातशिप के अनुमोदन तथा अनुमोदन प्रक्रिया में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति के अध्याधीन एनआरआई/विदेशी राष्ट्रिकों/भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों से भरी जा सकेंगी।
		ख.	परिषद् एनआरआई/ओसीआई/पीआईओ/एफएन/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों की सीटों को प्रारंभ करने/जारी रखने की सहमति केवल नियमित/पहली पाली के पाठ्यक्रमों के लिए ही प्रदान करेगी।
		ग.	सभी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में शिक्षण-शुल्क अधित्याग योजना (ट्यूशन फी वेवियर) के अंतर्गत अधिसंख्यक सीटों का अनिवार्य उपबंध सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए लागू होगा, जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।

4.7		डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में पार्ष्विक प्रवेश के अंतर्गत दाखिले।
	क.	द्वितीय वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमेय होगा, जो 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' की अधिसंख्य सीटों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा निर्दिष्ट प्रथम वर्ष की भरी न गई रिक्तियों के अतिरिक्त होगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
	ख.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/भेषजी पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अनुमेय होगा, जो 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' की अधिसंख्य सीटों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट प्रथम वर्ष की भरी न गई रिक्तियों के अतिरिक्त होगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
	ग.	कोई विदेशी राष्ट्रिक जिसने किसी विदेशी संस्था (जिसके पास भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण-पत्र है) से डिप्लोमा अथवा किसी भारतीय संस्था से डिप्लोमा प्राप्त किया है, भी द्वितीय वर्ष स्नातकपूर्व डिग्री पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश के लिए पात्र होगा। ऐसे पाठ्यक्रम(मों) में अधिसंख्य सीटों के लिए अनुमोदन रखने वाली संस्थाएं केवल मानदण्डों के अनुसार ही विदेशी राष्ट्रिकों को प्रवेश देने के लिए पात्र होगी, अन्यथा संस्था इसके लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर आवेदन करेंगी। तथापि, अधिसंख्य सीटों और पार्ष्विक प्रवेश के अंतर्गत प्रवेश दिए गए कुल विदेशी राष्ट्रिकों की कुल संख्या किसी शैक्षणिक वर्ष में 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' के 15 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी।
	घ.	एनआरआई उम्मीदवारों को भी द्वितीय वर्ष में पार्ष्विक प्रवेश में दाखिले की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि एनआरआई सीटों के लिए अभातशिप का अनुमोदन हो तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित सन्धियमों की पूर्ति की गई हो।
	ड.	प्रथम वर्ष में दाखिला वापस लेने वाले छात्रों के कारण उत्पन्न खाली सीटों के लिए भी पार्ष्विक प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा।
	च.	परिषद् इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/एमसीए पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में पार्ष्विक प्रवेश पृथक प्रभाग को प्रारंभ करने अथवा जारी रखने की अनुमति नहीं देगी।
4.8		राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/तकनीकी शिक्षा निदेशालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश के लिए आरक्षण नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से चालू कर दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत को प्रभावित नहीं किया जाएगा। तथापि, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसी संस्थाओं को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के प्रारंभ से अधिकतम दो वर्ष की अवधि में अनुमेय वार्षिक क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए समान आरक्षण नीति के साथ द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम(मों) में पार्ष्विक प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।
4.9		तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली नई/विद्यमान संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए अपेक्षाएं
	क.	सभी तकनीकी संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा निर्दिष्ट प्रासंगिक अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति करेंगी।
	ख.	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 8 अथवा कंपनियों, संघों अथवा व्यष्टियों के निकायों को अथवा उनके द्वारा संपत्ति के अंतरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार भूमि/भवन के स्वामित्व अथवा रजिस्ट्रीकृत निपटान विलेख/रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख/अप्रतिसंहरणीय उपहार विलेख (रजिस्ट्रीकृत)/अप्रतिसंहरणीय सरकारी/निजी पट्टा विलेख (रजिस्ट्रीकृत) के रूप में

		<p>आवेदक के नाम में संपत्ति के अंतरण को दर्शाने वाले दस्तावेज (न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिए जिसमें आवेदन को प्रस्तुत करने के समय पर न्यूनतम 25 वर्ष शेष पट्टा हो)। हालांकि, भूमि की कमी के कारण केवल मेगा/मेट्रो शहरों के लिए भवन का निजी पट्टा अनुमन्य है।</p> <p>इसके अलावा, प्रस्तावित संस्था के प्रवर्तक न्यास/सोसाइटी/कंपनी के लिए यह छूट होगी कि वह उस भूमि पर स्थित तकनीकी संस्था के विकास के प्रयोजनार्थ केवल संसाधन जुटाने के लिए अनुमोदन-पत्र की प्राप्ति के उपरांत भूमि को बंधक रख सके। यह भी कि, विद्यमान संस्थान की प्रवर्तक सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के लिए यह खुला होगा कि वह आवश्यक भूमि संबंधी विद्यमान मानकों में आवश्यक भूमि की सीमा को कम करने के कारण शेष बची अतिरिक्त भूमि में अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रम/संस्थान (तकनीकी/गैर तकनीकी) चला सकती है। तथापि, संस्था द्वारा इस शेष बची भूमि का उपयोग संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी/न्यास/कंपनी को दिए गए "उपयोग-प्रमाण पत्र" में दिए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे पाठ्यक्रम/संस्थान के लिए अलग से अपनी सुविधाएं हों और उसके लिए पहले से अनुमोदित संस्थान की अनिवार्य सुविधाओं जैसे कि कक्षा के कमरे, प्रयोगशाला इत्यादि को सांझा नहीं किया जाएगा। तथापि, सामान्य सुविधाएं जैसे कि प्रशासनिक अवसरचना, कैंटीन, सभागार, खेल मैदान, वाहन खड़े करने का स्थान (पार्किंग) इत्यादि का सभी विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सांझा प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सभी कार्यक्रमों के सभी छात्रों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं।</p>
	ग.	नए तकनीकी शिक्षा संस्थान की प्रवर्तक सोसाइटी/न्यास/कम्पनी संस्थान स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यथालागू अपेक्षित निर्मित क्षेत्र का निर्माण करेगी।
	घ.	ऐसे आवेदनों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से यथालागू अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अपेक्षित होगा।
4.10		संस्थाएं प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) की मांग नहीं करेंगी अथवा प्रभारित नहीं करेंगी अथवा स्वीकार नहीं करेंगी अथवा किसी पाठ्यक्रम में किसी सीट पर दाखिले के लिए विचार करने के माध्यम से किसी चंदे (डोनेशन) की मांग नहीं करेंगी।
4.11		अंशकालीन समय में संचालित पाठ्यक्रम(मों) की अनुमति इस तर्काधार पर दी गई है कि नियमित/प्रथम पाली के समय के दौरान चलने वाले समान पाठ्यक्रम(मों) की विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग किया जाएगा। यदि संस्था नियमित/प्रथम पाली के समय में उनके समान पाठ्यक्रम अथवा उनके समान कार्यक्रम के अन्य स्तर (डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री) संचालित न कर रही हो तो ऐसे पाठ्यक्रम अंशकालिक समय में संचालित नहीं किए जाने चाहिए।
4.12		परिषद् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम(मों) को अनुमति नहीं देगी (एमसीए और प्रबंध के सिवा), यदि संस्था समान कार्यक्रम में स्नातकपूर्व (मूल) पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर रही है। तथापि, इसकी अनुमति इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा स्वायत्तशासी सरकारी संस्थाओं को दी जाएगी।
4.13		परिषद् एक ही संस्था में पीजीडीएम और एमबीए पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं देगी।
4.14		सामान्य तौर पर, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया या तो किसी कक्षा में 'आमने-सामने' के तरीके से (नियमित पाठ्यक्रम) अथवा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, मूक्स, ऑनलाईन माध्यमों का प्रयोग करते हुए और यदा-कदा आमने-सामने संपर्क बैठकें आयोजित करते हुए लचीला शिक्षण प्रदान

		करते हुए 'मुक्त और दूरस्थ शिक्षण' के तरीके से संचालित की जाएगी। नियमित पाली, प्रथम पाली, द्वितीय पाली और अंशकालिक के रूप में संचालित पाठ्यक्रमों की समय सीमा में संचालित पाठ्यक्रमों को नियमित पाठ्यक्रम माना जाएगा। संस्थाओं को समग्र अनुमोदित प्रवेश-क्षमता के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी सुविधाओं की पूर्ति करनी होगी जैसे अवसंरचना, संकाय सदस्य और अन्य अपेक्षाएं तथा संस्थाएं नियमित पाली, प्रथम पाली, द्वितीय पाली और अंशकालिक पाली के समय में पाठ्यक्रम संचालित कर सकेंगी, जो सभी हितधारकों की सुविधा के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम की 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' से अधिक न हों। ऐसी सभी संस्थाएं 2 वर्ष की अवधि के भीतर सन्नियमों की पूर्ति के लिए आवश्यक संकाय, अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का सृजन करेंगी। छात्र नामांकन विवरण वेब-पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। संस्थाएं अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र में कौशल विकास पाठ्यक्रम, छात्र विकासात्मक क्रियाकलाप जैसे अनुसंधान पार्क, स्टार्ट-अप केन्द्र, उद्भवन क्लब, उद्यमशीलता आदि संचालित कर सकती हैं।
4.15		अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं को छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि किसी संस्था में प्रवेश दिए गए छात्र किसी अन्य संस्था में अपने एक सेमेस्टर का अध्ययन कर सकें।
4.16		कोई संस्था अभातशिप (स्वयं के माध्यम से आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 के अनुसार स्वयं के माध्यम से प्रदान किए गए आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा किसी सेमेस्टर में किसी कार्यक्रम-विशेष में संचालित किए जाने वाले कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत तक की ही अनुमति दे सकेगी।
5		आवेदनों का प्रस्तुत किया जाना
5.1		इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ;
	क.	न्यास/सोसाइटी/कंपनी के मामले में अध्यक्ष/सचिव ;
	ख.	केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/न्यास के मामले में संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ; तथा
	ग.	यथास्थिति सरकारी-निजी भागीदारी अथवा उनके द्वारा बनाई गई निर्माण-प्रचालन अंतरण (बीओटी) रीति के अंतर्गत न्यास/सोसाइटी/कंपनी/केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो,
	घ.	तकनीकी संस्था का प्राचार्य/निदेशक अथवा संस्था प्रमुख अथवा ऐसी संस्था के प्रवर्तक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्था का अधिकारी अथवा न्यास/सासायटी/कंपनी के मामले में अध्यक्ष/सचिव अथवा मानित विश्वविद्यालय संस्था का कुलपति/कुलसचिव (रजिस्ट्रार)।
5.2		शेयर-धारिता के रूप में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः विदेशी इक्विटी रखने वाली किसी कंपनी को तकनीकी संस्था स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5.3		केन्द्रीय, राज्य और निजी (प्राइवेट) विश्वविद्यालय अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अवसंरचना और अन्य अपेक्षाओं को उपलब्ध कराते हुए अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
5.4	क.	मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगी। ये अपेक्षाएं, पात्रता और प्रक्रियाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगी।

			इसके अलावा, मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियमों के अनुसार सन्नियमों की पूर्ति भी करनी होगी।
		ख.	अभातशिप से पहली बार अनुमोदन प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय अपने समस्त विद्यमान कार्यक्रम(मों) और पाठ्यक्रम(मों) के लिए एक नई तकनीकी संस्था के रूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं, जिनके पास अनेक परिसर/परिसर से बाहर/संघटक महाविद्यालय हैं, अनुमोदन के लिए अलग-अलग आवेदन करेंगी।
	5.5		परिषद् समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका प्रकाशित करेगी जिसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, संप्रेषित किए जाने वाली तकनीकी शिक्षा विनियम (टीईआर) प्रभारों, सन्नियमों और मानकों, उन अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के विवरण होंगे जिनके माध्यम से नई/विद्यमान संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण किया जाएगा।
	5.6	क.	नई संस्था स्थापित करने के लिए आवेदक अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विशिष्ट यूजर आईडी प्राप्त करेगा। आवेदक/विद्यमान संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे इन विनियमों के खंड 1.2 में सूचीबद्ध मामलों के लिए वेब-पोर्टल पर अभातशिप के भुगतान गेटवे के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए विहित टीईआर प्रभारों को संप्रेषित करके उन्हें आबंटित विशिष्ट यूजर आईडी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, जिसके न किए जाने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
		ख.	केवल उन्हीं आवेदनों पर प्रक्रमण के लिए विचार किया जाएगा जो भुगतान के साथ अंतिम तारीख के भीतर प्रस्तुत किए गए होंगे।
		ग.	वेब-पोर्टल आवेदनों के लिए कमी संबंधी रिपोर्ट सृजित करने की अनुमति देता है।
		घ.	आवेदक वेबपोर्टल पर आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाने तक आंकड़ों को संपादित कर सकेंगे। "सबमिट" टैब दबा दिए जाने के बाद, आवेदन का प्रक्रमण पूरा हो जाने तक उसमें कोई संपादन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
		ड.	यदि किसी आवेदक/संस्था ने आवेदन गलत प्रस्तुत कर दिया है, तो उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
		च.	आवेदन को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत, यदि आवेदक किसी विशेष प्रयोजन के लिए (अनुमोदन के विस्तार के अलावा) आवेदन को प्रतिबंधित (वापसी लेना) करना चाहता है अथवा संस्था/कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए आवेदन को वापस लेना चाहता है तो उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
		छ.	आवेदकों को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट अनुसार संवीक्षा हेतु पुनः संवीक्षा समिति/विशेषज्ञ दौरा समिति हेतु, जैसा भी मामला हो के लिए अपने दस्तावेजों को वेब-पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
		ज.	अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में 100/- रु० के गैर-न्यायिक स्टॉप-पत्र पर किसी प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ-आयुक्त के समक्ष सम्यक रूप से ली गई शपथ संबंधी शपथ-पत्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया हो कि आवेदक द्वारा जमा किए गए/अपलोड किए गए आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि जानकारी के किसी भी भाग को छिपाया गया है और/अथवा गलत निर्वचन किया गया है और/अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद् कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसमें अनुमोदन को वापस लिया जाना/अनुमोदन प्रदान करने के लिए विचार न किया जाना और/अथवा कोई अन्य विधिक कार्रवाई भी शामिल है, जो वह उचित समझे।

		झ.	आवेदन के अस्वीकृत हो जाने के मामले में लागू टीईआर प्रभार वापस कर दिए जाएंगे जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है।
		ज.	अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट लागू टीईआर प्रभारों के साथ "वर्ष भर" प्रस्तुत किए जाने के लिए पात्र आवेदनों के संबंध में ऑनलाईन रीति से भुगतान किया जाएगा। तथापि, सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित अंतिम (कट-ऑफ) तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन का प्रक्रमण चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा, परन्तु इन पर केवल क्रमिक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रक्रमण किया जाएगा।
6			आवेदनों का प्रक्रमण तथा अनुमोदन प्रदान करना
	6.1		प्राप्त हुए आवेदनों का प्रक्रमण विद्यमान केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय विधियों (लॉ) के अतिरिक्त अनुमादेन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्धारित सन्नियों और मानको के अनुसार किया जाएगा जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है।
	6.2		नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए
		क.	राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र तथा संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड आवेदन प्रस्तुत करने की यथाअधिसूचित अंतिम तारीख से एक सप्ताह के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को इन विनियमों के खंड 1.2 (क) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अपनी राय अग्रेषित करेगा। राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से आवेदन पर राय प्राप्त न होने पर परिषद् उसका आगे प्रक्रमण प्रारंभ करेगी।
		ख.	इन विनियमों के खंड 1.2 (क) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से गठित संवीक्षा समिति/पुनःसंवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा तथा आवेदक समिति के समक्ष स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वह संवीक्षा कार्यक्रम का पालन करें तथा अनुपस्थित न रहे। आवेदक, यदि वह स्वयं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में संस्था को प्रारंभ करने का इच्छुक है, इस आशय का एक संकल्प संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।
		ग.	संवीक्षा/पुनः-संवीक्षा समिति की सिफारिशें अनुशंसा के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखी जाएंगी तथा उन्हें अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष भी रखा जाएगा।
		घ.	नई तकनीकी संस्थाओं के मामले में, परिषद् यदि उचित समझे, निश्चित शैक्षणिक वर्ष के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करेगी तथा यह दो शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगा। वैधता की अवधि के भीतर, अपेक्षाओं के अनुसार अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के उपरांत, आवेदक वर्ष में किसी भी समय अनुमोदन पत्र के लिए अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करेगा। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही अनुमोदन पत्र (एलओए) प्राप्त करने की इच्छा दर्शाने वाले आवेदक के मामले में, उसका आगे प्रक्रमण विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाउल्लिखित संरचना के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित विशेषज्ञ दौरा समिति संस्था की अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का भौतिक रूप से सत्यापन करेगी। वैधता की समाप्ति पर, जारी किया गया आशय-पत्र (एलओआई) स्वतः ही रद्द हो जाएगा तथा आवेदक आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए नया आवेदन करेगा।
		ड.	विशेषज्ञ दौरा समिति की सिफारिश अनुशंसा के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष रखी जाएंगी तथा इसे अनुमोदन अथवा अन्यथा के लिए आगे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

		च.	<p>क्षेत्रीय समिति की अनुशंसाओं को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए अभातशिप के अनुमोदन ब्यूरो को अग्रेषित करते समय संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति तथा विशेषज्ञ दौरा समिति और क्षेत्रीय समिति (यथालागू) द्वारा कर लिया गया है।</p> <p>अभातशिप का अनुमोदन ब्यूरो भी यह सत्यापित करेगा कि इन विनियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन संवीक्षा/पुनः संवीक्षा समिति तथा विशेषज्ञ दौरा समिति (यथालागू) और क्षेत्रीय समिति द्वारा कर लिया गया है।</p>
		छ.	कार्यकारिणी समिति का निर्णय आशय-पत्र (एलओआई)/अनुमोदन पत्र (एलओए) अथवा आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए विशिष्ट कारणों के साथ अस्वीकृति पत्र (एलओआर) के रूप में वेब-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
		ज.	<p>सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के अलावा नई तकनीकी संस्थाएं आरंभ करने के लिए आवेदकों को, जिनके आवेदन कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन पत्र (एलओए) के लिए अनुशंसित कर दिए गए हैं, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्वोरिटी डिपोजिट) सृजित करने के लिए सूचित किया जाएगा।</p> <p>अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित संस्थाओं, जो अनुमोदन के लिए परिषद् को पहली बार आवेदन कर रही है तथा 10 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, को प्रतिभूति जमा के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।</p> <p>आवेदक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर एक शपथ-पत्र के साथ प्रतिभूति जमा के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अन्यथा कैलेंडर वर्ष की 31 मई एवं 31 जुलाई तक प्रतिभूति जमा के मूल्य के 10% एवं 50% की शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जिसके उपरांत अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।</p>
		झ.	तकनीकी संस्था द्वारा अभातशिप के पास सृजित कराई गई ऑनलाइन प्रतिभूति जमा की राशि को 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् अथवा कार्यक्रम/संस्था को बंद किए जाने के मामले में वापस लिए जाने की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रसंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। प्रतिभूति जमा पर उद्भूत ब्याज परिषद् को क्रेडिट किया जाएगा तथा उसका उपयोग अभाशिप द्वारा संकाय के लिए संस्थागत विकास सक्रियताएं, गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम तथा छात्रों को छात्रवृत्तियां, आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तथापि, सन्नियमों, शर्तों और अपेक्षाओं के उल्लंघन और/अथवा संस्था द्वारा गैर-निष्पादन और/अथवा संस्था के विरुद्ध शिकायत के मामले में प्रतिभूति जमा की अवधि को मामला-दर-मामला आधार पर यथानिर्णित अवधि-तक आगे बढ़ाया जा सकेगा और/अथवा जब्त किया जा सकेगा।
		ञ.	<p>नई तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन-पत्र (एलओए) 'यदि जारी किया गया है' - की वैधता अनुमोदन-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो शैक्षणिक वर्षों के लिए केवल संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए होगी।</p> <p>सभी आवेदक जिन्हें नई तकनीकी संस्था आरंभ करने के लिए एलओए जारी किए गए हैं, छात्रों के प्रवेश अथवा अन्य पर विचार किए बिना, आगामी शैक्षणिक वर्ष के बाद से अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदन के विस्तार के लिए अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करेंगे।</p> <p>दो शैक्षणिक वर्षों की वैधता की समाप्ति पर, जारी अनुमोदन पत्र (एलओए) स्वतः ही रद्द हो जाएगा तथा आवेदक आशय-पत्र पुनः जारी करने के लिए नया आवेदन करेगा।</p>
		ट.	नई संस्थाएं, जिन्हें अनुमोदन-पत्र प्रदान किया गया है तथा विद्यमान संस्थाएं जिन्हें नए पाठ्यक्रम(मों), प्रभाग(गों), कार्यक्रम(मों) को आरंभ करने, प्रवेश-क्षमता में परिवर्तन करने के

		<p>लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथास्थिति, परिषद् की नीति के अनुसार संकाय और प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी।</p> <p>अल्पसंख्यक संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाएं संकाय/प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी सहायक कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति कड़ाई के साथ संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप करेंगी विशेष रूप से चयन प्रक्रियाओं और चयन समितियों के मामले में।</p> <p>कर्मचारियों की इन नियुक्तियों के बारे में जानकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभातशिप के वेब-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।</p>
	ठ.	<p>अनुमादेन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति का सत्यापन करने के लिए छात्रों के प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने से पूर्व किसी भी समय विशेषज्ञ दौरा समिति का दौरा संचालित किया जा सकता है।</p>
	ढ.	<p>यदि आवेदक को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है परन्तु विशेषज्ञ दौरा समिति के पश्चात् अस्वीकृत किया गया है तो वह संस्थान दौरा विशेषज्ञ समिति संचालित करने के लिए ऑनलाईन संगत अतिरिक्त टीईआर प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् अवसररचना के संबंध में अपनी तैयारियों की सूचना परिषद् को देगा, इसी पर अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रक्रमण किया जाएगा। तथापि, आशय पत्र (एलओआई) की वैधता की अवधि में प्रतिवर्ष केवल एक विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) के लिए ही अनुमति होगी।</p>
6.3		विद्यमान संस्थाओं के लिए
	क.	<p>इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए परिषद् अपेक्षित अनुमोदन केवल यह पुष्टि करने के उपरांत ही प्रदान करेगा कि आवेदक ने प्रक्रिया के साथ अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट सभी सन्नियमों और मानकों की पूर्ति कर ली है। परिषद् के पास निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है तथा यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो वह अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट द्रांडिक कार्यवाही आरंभ करेगी।</p>
	ख.	<p>विद्यमान संस्थाओं के मामले में, यदि ईवीसी संचालित की गई थी अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो उसे यथालागू स्थायी सुनवाई समिति (एसएचसी) के समक्ष रखा जाएगा और उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि संस्था कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित है, तो संस्था को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक बार परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।</p>
	ग.	<p>यदि महिला संस्था को सह-शिक्षा संस्था में और इसके विपरीत संपरिवर्तित करने/डिप्लोमा स्तर को डिग्री स्तर में और इसके विपरीत संपरिवर्तित करने/नया कार्यक्रम/स्तर आरंभ करने के लिए आवेदन को अनुमोदित नहीं किया गया है, तो संस्था को अनुमोदन का विस्तार पत्र जारी किया जाएगा, तथापि, संवीक्षा/पुनः-संवीक्षा/विशेषज्ञ दौरा समिति द्वारा नोट की गई कमियों की पूर्ति आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अनुमोदन का विस्तार जारी करने से पूर्व की जाएगी।</p>
	घ.	<p>संस्था को बंद करने के लिए आवेदन संस्थान द्वारा संचालित किए गए संबंधित कार्यक्रम की अवधि के लिए वैध होगा जिसके भीतर संस्था अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। अन्यथा अभातशिप संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड और राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र को सूचित करते हुए संस्था को बंद कर देगी और इसके बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगी। कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन संबंधित पाठ्यक्रम की अवधि के लिए मान्य होगा जिसके भीतर संस्थान को आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। अन्यथा अभातशिप कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई प्रारंभ करेगी।</p>

		ड.	न्यास/सोसाइटी/कंपनी के नाम में परिवर्तन जिसमें शिक्षा के समान साझे उद्देश्यों को रखने वाले दो अथवा अधिक न्यासों/सोसाइटीयों/कंपनियों आदि का विलयन भी शामिल है, की अनुमति अधिनियमों में विनिर्धारित संबंधित विधियों के अनुसार दी जाएगी। कोई न्यास/सोसाइटी अपनी आस्तियों को धारित करने के लिए नई कंपनी का सृजन भी कर सकेगी और आस्तियों का अंतरण पूर्ण हो जाने के उपरांत न्यास/सोसाइटी को विघटित किया जा सकेगा तथा स्वामित्व कंपनी को अंतरित किया जा सकेगा। ऐसी व्यवहार्यता अधिकारिता और संदर्भ पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न हो सकेगी।
		च.	कोई संस्था नए पाठ्यक्रम(मों)/विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) के विस्तार के लिए वैध एनबीए प्रत्यायित पाठ्यक्रम(मों) की संख्या के समान संख्या के लिए पात्र होंगे, जो प्रभाग/कार्यक्रम/स्तर की परिभाषा के अधीन अधिकतम चार तक सीमित होगी। इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर में प्रवेशक्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम में वृद्धि केवल एमरजिंग विषयक्षेत्रों में स्वीकार्य होगी।
		छ.	किसी पाठ्यक्रम(मों) में परिषद् द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रभाग आकार से कम 'अनुमोदित क्षमता' रखने वाली संस्थाएं स्वयं पूर्ण प्रभाग आकार की प्रवेश-क्षमता के लिए वेब-पोर्टल में आवेदन कर सकेंगी तथा एनबीए प्रत्यायन/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से अनापत्ति-प्रमाणपत्र के बिना तदनुसार दोनो के बीच : संकाय : छात्र अनुपात अनुरक्षित करेंगी, बशर्ते कि अभातशिप वेब पोर्टल पर स्वप्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' हो। तथापि, यह दांडिक कार्रवाई के अंतर्गत रखी गई संस्थाओं के लिए लागू नहीं है।
		ज.	संस्थाएं किसी प्रभाग के भीतर किसी पाठ्यक्रम(मों) में प्रवेश क्षमता में कमी के लिए अभातशिप वेबपोर्टल में स्वयं आवेदन कर सकेंगी और संबंधित विश्वविद्यालय बोर्ड/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से अनापत्ति : प्रमाण-पत्र के बिना तदनुसार संकाय : छात्र अनुपात अनुरक्षित करेंगी और एनबीए के बिना प्रभाग के भीतर बहाली की अनुमति दी जाएगी। संस्थाएं अभातशिप वेब-पोर्टल में स्वयं इसके संबंध में बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगी।
		झ.	"अधिकतम अनुमेय प्रवेशक्षमता" के समान/से कम कुल 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' रखने वाली विद्यमान संस्थाओं/एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र संस्थाओं को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार 'शून्य कमी' के अध्याधीन किसी नई तकनीकी संस्था के समान प्रत्येक कार्यक्रम में 'अधिकतम अनुमेय प्रवेश-क्षमता' तक समान कार्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातकपूर्व/एमसीए/प्रबंधन) में समान स्तर में वृद्धि करने की अनुमति (बिना एनबीए प्रत्यायन के) स्व-प्रकटीकरण के आधार पर अभातशिप वेब पोर्टल पर प्रदान की जाएगी।
		ञ.	ऐसी विद्यमान संस्थाएं जिनकी कुल "अनुमोदित प्रवेशक्षमता" "अधिकतम अनुमेय प्रवेशक्षमता" से अधिक है वे समान कार्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातकपूर्व/एमसीए/प्रबंधन) में समान स्तर में प्रवेश-क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) (एनबीए प्रत्यायन के बिना) के लिए अनुमोदन का आशय रखने वाली संस्थाओं को प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यक्रम(मों) को बंद करने के लिए आवेदन करना होगा तथा वे उसके स्थान पर प्रवेश-क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) के लिए आवेदन करेंगे तथापि, इसमें अभातशिप वेब-पोर्टल पर स्व-प्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' के अध्याधीन, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट कुल 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता'/अधिकतम अनुमेय प्रवेश-क्षमता और पाठ्यक्रमों/प्रभागों की संख्या से अधिक नहीं होगी। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर में प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम में वृद्धि केवल उभरते हुए क्षेत्रों (एमरजिंग एरिया) में ही अनुमेय होगी।
		ट.	एनबीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आने वाले कार्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर नए पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाएं इसके लिए केवल छात्रों के दो बैचों के उत्तीर्ण होने के उपरांत ही पात्र होंगी। ऐसी संस्थाओं को अभातशिप वेब-पोर्टल पर

			<p>स्व-प्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' के अध्याधीन, नए पाठ्यक्रम(मों) के लिए अधिकतम पांच पाठ्यक्रमों/प्रभागों तक ही अनुमति दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, पीएच.डी. अर्हता के साथ कम-से-कम एक प्रोफेसर होना चाहिए।</p> <p>जब कभी एनबीए द्वारा प्रत्यायन के लिए ऐसे कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा, जो संस्थाएं स्नातकोत्तर स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम(मों) को संचालित करने के लिए अभातशिप द्वारा अनुमोदित हैं, वे दो वर्ष के भीतर एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करेंगी।</p>
		ठ.	<p>डिग्री भेषजी कार्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं को वैध एनबीए प्रत्यायन के आधार पर अभातशिप वेब-पोर्टल पर स्व-प्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' के अध्याधीन ही डी.फार्मा. पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, पीसीआई के अनुमोदन के साथ (2018 से पूर्व) डी.फार्मा. पहले ही संचालित करने वाली संस्थाओं के लिए, एनबीए के प्रत्यायन के बिना प्रक्रमण किया जाएगा।</p>
		ड.	<p>एनबीए/यूजीसी अनुमोदित शैक्षणिक स्वायत्तता द्वारा पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने वाली अच्छा प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं/अभातशिप द्वारा अनुमोदित/स्टैण्डअलोन संस्थाओं की वर्गीकृत सवायत्तता को अभातशिप द्वारा सम्यक मान्यता प्रदान की जाएगी तथा उन पर विस्तारित ईओए के अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है। विस्तारित ईओए के लिए अनुमोदित संस्थाओं को केवल विस्तारित वर्षों के लिए अनुमोदन के विस्तार (ईओए) के लिए टीईआर प्रभागों का भुगतान करने से छूट प्राप्त हैं। तथापि, ऐसी संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे ईओए के लिए आवेदन प्रस्तुत करें तथा समस्त आंकड़ों को सम्यक रूप से भरें और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट समस्त सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण करें।</p>
		ढ.	<p>संस्था को आवेदन के प्रक्रमण के लिए, यथालागू स्व-प्रकटन के आधार पर 'शून्य कमी' के मानदण्ड की पूर्ति करने के लिए संवीक्षा/पुनःसंवीक्षा समिति के समक्ष कमियों, यदि कोई है, का अनुपालन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।</p>
		ण.	<p>ऐसे आवेदक, जिनके आवेदन नए कार्यक्रमों के लिए अनुशंसित किए गए हैं, वे प्रतिभूति निक्षेप (सिक्योरिटी डिपोजिट) सृजित करेंगी, जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया गया है। आवेदक सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर एक शपथ-पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान का प्रमाण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा प्रतिभूति जमा के मूल्य के 10 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक की शास्ति कैलेंडर वर्ष के क्रमशः 30 मई और 31 जुलाई तक अधिरोपित की जाएगी, और उसके बाद अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।</p>
	6.4		<p>संवीक्षा/पुनः संवीक्षा/विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट की अपलोडिंग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी।</p>
	6.5		<p>यदि संवीक्षा/पुनः संवीक्षा/विशेषज्ञ दौरा समिति का कोई सदस्य समिति की बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहता है अथवा वह इससे इंकार करता है अथवा निःशक्त है, तो क्षेत्रीय अधिकारी को सदस्य-सचिव अभातशिप से पूर्व में अथवा कार्योत्तर मंजूरी द्वारा विशेषज्ञों के अनुमोदित पैनल से स्वतः ही किसी अन्य सदस्य को चुनने का विकल्प होगा।</p>
	6.6		<p>मानित विश्वविद्यालय संस्था</p>
		क.	<p>परिषद् यूजीसी द्वारा यथाअधिसूचित श्रेणी-I/II के अंतर्गत आने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) का अनुमोदन करेगी। ऐसी मानित - विश्वविद्यालय संस्थाएं अभातशिप द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों का अनुपालन करेंगी तथा इस आशय का एक शपथ-पत्र अभातशिप और यूजीसी को प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>यूजीसी द्वारा यथाअधिसूचित श्रेणी-III के अंतर्गत आने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन का प्रक्रमण इन विनियमों के खंड 6.2/6.3 (यथालागू) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।</p>

		ख.	विश्वविद्यालय इन विनियमों के खंड 1.2 में अन्य श्रेणियों के लिए भी आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अपेक्षाएं, पात्रता और प्रक्रिया अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के संबंधित खंडों के अनुसार होगी। तथापि, श्रेणी-1/II विश्वविद्यालयों के लिए ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिकों/खाड़ी देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों के लिए अधिसंख्य सीटों को प्रारंभ करने के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति से छूट दी जाएगी।
		ग.	राज्य विश्वविद्यालय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्था (सरकारी) को प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मानित विश्वविद्यालय संस्था (निजी)/निजी विश्वविद्यालय जो यूजीसी के साथ 10 वर्ष से अधिक अवधि से विद्यमान हैं, उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान से छूट दी गई है। ऐसे विश्वविद्यालय, जिन्हें पूर्व में तकनीकी संस्था के रूप में अभातशिप से अनुमोदन प्रदान किया गया है और जिन्होंने प्रतिभूति निक्षेप सृजित किया है तथा परिपक्वता की अवधि के पश्चात् यह निर्गत हो गया है, उनके द्वारा भी प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी, अन्यथा विश्वविद्यालय 10 वर्ष की शेष अवधि के लिए यथालागू प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान देगा।
		घ.	परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम(मों) का संचालन करने वाले मानित विश्वविद्यालय संस्थान, जो यूजीसी द्वारा घोषित श्रेणी-1 और II के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उभरते हुए क्षेत्रों (एमरजिंग एरिया) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश-क्षमता में वृद्धि करने/नए पाठ्यक्रम(मों) के लिए अभातशिप को आवेदन करना होगा। अभातशिप उन पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करेगा। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालयों को अभातशिप वेब-पोर्टल में वार्षिक आधार पर आँकड़ों को अद्यतन बनाना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष इस प्रभाव से सम्बन्धित शपथ-पत्र (एफिडेविट) अभातशिप को एवं यूजीसी को प्रस्तुत करेंगे। यदि सन्नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अभातशिप विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगा तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इसे यूजीसी को सूचित करेगा। मानित विश्वविद्यालय संस्था के मामले में, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट कार्रवाई शुरू की जाएगी और यूजीसी को सूचित किया जाएगा।
		ड.	ऐसे विश्वविद्यालय, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, को वार्षिक अनुमोदन प्रक्रिया से छूट दी जाएगी तथा तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालयों को अभातशिप वेबपोर्टल में वार्षिक आधार पर आँकड़ों को अद्यतन बनाना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष इस प्रभाव से संबंधित शपथ-पत्र (एफिडेविट) अभातशिप को एवं यूजीसी को प्रस्तुत करेंगे। यदि सन्नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अभातशिप विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को सूचित करेगी। मानित विश्वविद्यालय संस्था के मामले में, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट कार्रवाई की जाएगी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को सूचित किया जाएगा।
	6.7		मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम
			मुक्त और दूरस्थ रीति में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए स्टैंड-अलोन संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थाएं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठ्यक्रमों में अनुमोदित प्रवेश-क्षमता में वृद्धि/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा रीति से नए पाठ्यक्रम शुरू करने/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा रीति से पाठ्यक्रम बन्द करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिषद् को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

6.8		व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम
		व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा एनएसक्यूएफ विनियमों और समय (एसएएमवीएवाई) में समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य सभी सन्नियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थाएं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन में विस्तार/पाठ्यक्रमों में अनुमोदित प्रवेश-क्षमता में वृद्धि/नए पाठ्यक्रम शुरू करने/व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को बन्द करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिषद् को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।
6.9		इन विनियमों के खंड 1.2 के अंतर्गत आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अनुमोदित प्रवेश-क्षमता के साथ सभी संस्थाओं की समेकित सूची अनुमोदन ब्यूरो द्वारा तकनीकी संस्थाओं के लिए यथालागू अनुमोदन में विस्तार प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति/परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ताकि वे तकनीकी कार्यक्रम(मों) और पाठ्यक्रम(मों) का संचालन जारी रख सकें। कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन परिषद् द्वारा किया जाएगा। इसे वेब-पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्था लॉगइन के माध्यम से 'अनुमोदित प्रवेशक्षमता' के साथ अनुमोदन के विस्तार का पत्र डाउनलोड करेगी। समस्त आदेश कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल तक अपलोड कर दिए जाएंगे तथा विस्तृत स्पष्टीकारक आदेश (प्रवेशक्षमता में कटौती, प्रवेश नहीं आदि के मामले में) कैलेंडर वर्ष की 15 मई तक वेब-पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
6.10		परिषद् किसी संस्था को कोई सशर्त अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी।
6.11		अभातशिप ऐसे मामलों में, जहां दस्तावेजों की जालसाजी, मिथ्या निरूपण, सन्नियमों और मानकों के उल्लंघन, कदाचार आदि की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, तारीखों को अधिसूचित करते हुए अथवा उसके बिना समय-समय पर निरीक्षण भी संचालित करेगी। संस्थाएं अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका की पूर्ति के लिए यादृच्छिक रूप से औचक निरीक्षण के अध्यक्षीन रहेंगी तथा आवेदकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें अनुमोदन को वापस लेना और कोई अन्य आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई भी शामिल है।
6.12		ऐसी संस्थाओं के लिए, जिनके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का परिषद् द्वारा अनुमोदन वापस ले लिया/निलंबित कर दिया गया है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र उनके छात्रों को विश्वविद्यालय/बोर्ड के साथ संबंध निकटतम अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं में वितरित कर देंगे तथा परिषद् पुनर्वितरित किए गए छात्रों को उनके कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूरा होने तक उन संस्थानों की अतिरिक्त सीटों को अनुमति प्रदान करेगी।
6.13		तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड अपने लॉगइन के माध्यम से वेब-पोर्टल से उनकी अधिकारिता के अंतर्गत संस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश-क्षमता को डाउनलोड करेंगे।
6.14		सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र की पात्रता अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी तथा यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र की आरक्षण की नीति के अनुसार होगी। कोई विदेशी राष्ट्रिक जिसने किसी विदेशी संस्था से विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, भारत में किसी संस्था/विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों/स्तरों के लिए शैक्षणिक सत्र और शिक्षण प्रक्रिया का अनुपालन अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार किया जाएगा।
6.15		परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किए बिना तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) संचालित करने वाली संस्था को गैर-अनुमोदित संस्था के रूप में माना जाएगा।

7		स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष अपील
	7.1	परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित संस्था/आवेदकों को अस्वीकृति पत्र (एलओआर) अपलोड किए जाने की तिथि के 7 दिन के भीतर परिषद् के समक्ष केवल एक बार अपील करने का अधिकार होगा। ऐसे सभी आवेदकों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों को स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। परिषद् का अंतिम निर्णय कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल अथवा उससे पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा।
	7.2	परिषद् का एक अधिकारी स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्था के दो प्रतिनिधियों को अनुपालन एवं सहायक दस्तावेजों सहित स्थाई अपीलीय समिति के समक्ष संस्था का मामला प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
	7.3	स्थाई अपीलीय समिति की सिफारिशें अभातशिप की परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
	7.4	परिषद् का निर्णय, कैलेंडर वर्ष के 30 अप्रैल तक अथवा उससे पूर्व वेब-पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्य के संबंध में आवेदक को सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, आवेदन की अस्वीकृति का कारण भी दिया जाएगा।
8		एलओए/ईओए प्रदान करने के लिए समय-सीमा
		एलओए/ईओए प्रदान करने के लिए समय-सीमा को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम अभातशिप एवं अन्य नामक सीए सं० 9048/2012 में पारित किए दिनांक 13.12.2012 के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 30 अप्रैल के पश्चात् बढ़ाया नहीं जाएगा। यदि शैक्षणिक वर्ष के दौरान बाद में इन कमियों को दूर कर दिया जाता है, तो आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
9		अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं
	9.1	सभी तकनीकी संस्थाएं उनके निदेशक/प्राचार्य, संकाय सदस्यों एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी परिषद् के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में अपलोड करेंगी तथा समय-समय पर इस सूचना को अद्यतन करती रहेंगी। सभी संकाय सदस्यों के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) तथा फार्म-16 भी वेब-पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
	9.2	संस्था अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों और अर्हताओं को अंगीकृत करेंगी। तथापि, मानित विश्वविद्यालय संस्था/प्रत्यायन प्राप्त/स्वायत्त हैसियत रखने वाली संस्थाएं निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों और अर्हताओं को भी पार कर सकेंगी।
	9.3	आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिषद् को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सत्य और पूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्रदान करें। यदि परिषद् को दी गई जानकारी और/अथवा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत/अपूर्ण पाए जाते हैं और/अथवा आवेदक तथ्यात्मक जानकारी प्रकट करने में असफल रहता है और/अथवा उसने जानकारी को छिपाया/गलत प्रस्तुत किया है, तो परिषद् कार्यवाही आरंभ करेगी जिसमें अनुमोदन को वापस लेना/आवेदक के विरुद्ध आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही भी शामिल है। यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज कपटपूर्ण पाया जाता है, तो संस्था के प्राचार्य और न्यास/सोसाइटी/कंपनी के अध्यक्ष/सचिव के विरुद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

	9.4		इन विनियमों के खंडों 6.11 एवं 9.3 के अनुसार विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन के विस्तार अथवा अनुमोदन का विस्तार प्रदान करने से इंकार किए जाने की स्थिति में, ऐसी संस्थाओं पर अनुमोदन के विस्तार के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कार्यवाहियां निपट नहीं जाती और प्रवर्तकों/संस्थाओं को उल्लंघन के आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता।
10			प्रतिभूति निक्षेप वापस करना न्यास/सोसाइटी/कंपनी ऑनलाईन आवेदन करेगी तथा अभातशिप के वेब-पोर्टल पर प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत करेगी एवं उसका प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
11			विनियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही
	11.1		इन विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्था कानूनी कार्यवाही प्रारंभ किए जाने, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है, को वापस लेना भी शामिल है, और/अथवा, यथास्थिति, संस्था और/अथवा उसके प्रवर्तक न्यास/सोसाइटी/कंपनी और उससे सहयोजित व्यक्तियों "जैसा भी मामला हो" के विरुद्ध परिषद् द्वारा कानूनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की दायी होगी।
	11.2		यदि कोई संस्था प्रासंगिक विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो परिषद् स्थायी सुनवाई समिति (एस.एच.सी.) के माध्यम से उपयुक्त जांच कराए जाने के पश्चात् तथा स्थायी अपीलीय समिति (एस.ए.सी.) के माध्यम से उसे सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत उपयुक्त जांच कराए जाने के पश्चात् प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेगी। संस्था को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने की स्थिति में, तकनीकी संस्था/न्यास/सोसाइटी/कंपनी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार दो शैक्षणिक वर्षों की समाप्ति के उपरांत नई तकनीकी संस्था स्थापित करने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेगी।
	11.3		किसी प्रासंगिक विनियम के उल्लंघन के लिए किसी संस्था के विरुद्ध परिषद् द्वारा दांडिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से संबंधित किसी वाद के मामले में, ऐसी संस्था को, इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट न्यायालय आदेश के अभाव में, यथा लागू अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगामी शैक्षणिक वर्ष में अभातशिप वेब-पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
	11.4		विनियमों/अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के उल्लंघन के मामले में दांडिक कार्रवाई
		क.	अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत न किया जाना/अधूरे आवेदन प्रस्तुत किया जाना
		ख.	अर्हक प्राचार्य/निदेशक की अपेक्षा की पूर्ति न किया जाना
		ग.	संकाय : छात्र अनुपात की पूर्ति न होना, शिक्षण स्टाफ के लिए निर्दिष्ट वेतनमानों और/अथवा अर्हताओं का अनुपालन न किया जाना
		घ.	कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटरों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलों एवं पुस्तकालय आदि सुविधाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना
		ड.	तकनीकी संस्था के लिए अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना
		च.	स्थापना के वर्ष/चालू शैक्षणिक वर्ष के समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट आवश्यक स्थल/निर्मित क्षेत्र/भूमि की पूर्ति न करना

		छ.	अधिक प्रवेश
		ज.	सम्बन्धित राज्य/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित करना
		झ.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के लिए विशेषज्ञ दौरा समिति को अनुमति न देने वाली संस्थाएं/अधिभोग प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र/भवन लाइसेंस/प्ररूप-घ/बाधामुक्त परिवेश न रखने वाली संस्थाएं/एनएडी न रखने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं/संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के समय संकाय सदस्यों से मूल डिग्री प्रमाणपत्रों की मांग करने वाली संस्थाएं
		ञ.	पीजीडीएम/पीजीसीएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश के सन्धियों का उल्लंघन/एनएडी न रखने वाली पीजीडीएम संस्थाएं अथवा अभातशिप वेब-पोर्टल में छात्र नामांकन आकड़ों का तथा सफलता पूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों की उनके सीजीपीए/अंक प्रतिशत सहित सूची को अपलोड न करने वाली नियमित या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) रीति में पीजीडीएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं
		ट.	<p>विनियमों/अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका का उल्लंघन करने वाली संस्थाएं, परिषद् द्वारा, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक दांडिक कार्यवाहियां करने के लिए पात्र होंगी</p> <p>i). एनआरआई के लिए अनुमोदन को निरस्त करना और एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिसंख्यक सीटों का निलंबन</p> <p>ii). प्रति छात्र द्वारा संग्रहित कुल शुल्क की पांच गुना राशि प्रत्येक अतिरिक्त प्रवेश के लिए उद्ग्रहित की जाएगी</p> <p>iii). 'अनुमोदित प्रवेश-क्षमता' में कटौती</p> <p>iv). एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रम(मों) में प्रवेश नहीं</p> <p>v). अभातशिप से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं</p> <p>vi). कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) के लिए अनुमोदन की वापसी</p> <p>vii). संस्था के अनुमोदन की वापसी।</p> <p>viii). परिषद् द्वारा प्रदान की गई ग्रेडिड स्वायत्तता की वापसी</p> <p>परिषद् कर्मचारियों को नियमित न करने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लेरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को समय पर और पूरी राशि के भुगतान के साथ वेतन सुनिश्चित न करने के लिए दांडिक कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगी।</p>
	11.5		प्रवेश के रद्द होने पर शुल्क की वापसी के बारे में परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा वापसी में विलंब करने वाली/सहयोग और ट्रेनिंग कार्यक्रमों के मामले में सन्धियों का उल्लंघन करने वाली संस्थाएं परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथाविनिर्दिष्ट दांडिक कार्रवाई के लिए दायी होंगी।
	11.6		यदि संस्था के शैक्षणिक, अनुसंधान, परियोजना कार्य, जर्नल प्रकाशन आदि में चोरी पाई जाती है, तो अभातशिप उपयुक्त दांडिक कार्रवाई आरंभ करेगी। प्रत्येक संस्था के पास छात्रों और संकाय के कार्य की निष्ठा की जांच करने के लिए चोरी-रोधी (Plagiarism) साफ्टवेयर होना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त विषय-वस्तु विशिष्ट हो।
	11.7		यदि शपथ-पत्र में उल्लिखित कोई जानकारी गलत सिद्ध हो जाती है, तो अभिसाक्षी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ की जाएगी जिसमें दंडित कार्यवाही भी शामिल है।

11.8		<p>ऐसी संस्थाओं के मामले में, जहां परिपक्वता की अवधि से पूर्व एफडीआर का भुगतान कर लिया गया था अथवा एलओए के समय अपेक्षित प्रतिभूति जमा को जमा नहीं कराया गया है, एफडीआर के मूल्य की 10 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तथापि, ऐसी संस्थाओं जिन्होंने एफडीआर सृजित नहीं की है/कम अवधि/एलओए के समय निर्दिष्ट राशि की तुलना में कम राशि की एफडीआर सृजित की है, को उसे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सृजित करना होगा।</p>
11.9		<p>जुर्माने की राशि का भुगतान निर्देशों के अनुसार परिषद् को ऑनलाईन किया जाएगा।</p>
12		<p>शिकायत के मामले सभी संस्थाओं को परिषद् द्वारा अधिसूचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। संस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने के मामले में, उसका प्रक्रमण जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी), अभातशिप द्वारा किया जाएगा। शिकायत को स्थायी शिकायत संवीक्षा समिति (एससीएससी) के समक्ष रखा जाएगा तथा, यदि आवश्यक हुआ, शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा (उसके अपने खर्च पर)। एससीएससी की सिफारिश के आधार पर, संस्था को चेतावनी अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा अथवा ईवीसी संचालित की जाएगी और इन विनियमों के 6.3 ख के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो शिकायतकर्ता को उसके अपने खर्च पर स्थायी सुनवाई समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाया जाएगा। सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों का प्रक्रमण नहीं किया जाएगा।</p>
13		<p>दांडिक कार्यवाही का कार्यान्वयन असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, यदि परिषद् द्वारा दंडात्मक कार्यवाही (जुर्माने को छोड़कर) कैलेंडर वर्ष के 30 अप्रैल से परे अनुमोदित की जाती है, तो उसका कार्यान्वयन केवल आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए ही किया जाएगा। एक असाधारण परिस्थिति में, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अनुमोदन की वापसी को लागू करने के लिए, प्रवेशित छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के परामर्श से पास के अभातशिप अनुमोदित संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।</p>
14		<p>अनुमोदन वापस लेने के मामले को छोड़कर दांडिक कार्यवाही के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया संस्थाओं को प्रवेश-क्षमता की पुनः वापसी के लिए आवेदन करना होगा तथा उस पर कार्यवाही अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी।</p>
15		<p>अतिरिक्त संवीक्षा/विशेष दौरा/स्थाई सुनवाई/स्थाई अपीलीय समिति संचालित करने हेतु प्रभार असाधारण परिस्थितियों में, यदि अतिरिक्त संवीक्षा/विशेषज्ञ दौरा समिति (ईवीसी) संचालित की जाएगी जिसमें संस्था को न्यायालय का किसी भी प्रकार का निर्देश भी शामिल है, तो आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार टीईआर प्रभार का भुगतान करना होगा। असाधारण परिस्थितियों में, यदि अतिरिक्त स्थाई सुनवाई समिति/स्थाई अपीलीय समिति संचालित की जाएगी जिसमें संस्था को न्यायालय का किसी भी प्रकार का निर्देश भी शामिल है, तो आवेदक को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए अनुसार टीईआर प्रभार का भुगतान करना होगा।</p>
16		<p>सामाजिक दायित्व सामाजिक दायित्व की पूर्ति के क्रम में, प्रत्येक परिषद् अनुमोदित तकनीकी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवर्ष कम से कम 120 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अन्तर्गत संकलित कौशल विकास पाठ्यक्रम</p>

			चलाए। ये कार्यक्रम उस स्थान के स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए, जहाँ पर वह संस्थान स्थापित है।
17			कोई अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाना संस्थाएं, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता किए बिना, किसी भी अन्य विनियामक निकाय के शैक्षणिक पाठ्यक्रम चला सकती हैं जिसके लिए वे संस्था में विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग कर सकती हैं अथवा नई सुविधाएं सृजित कर सकती हैं, ऐसे पाठ्यक्रम अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अभातशिप का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके ही चलाए जा सकते हैं। तथापि, आवेदक संस्था नए कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुकूल भवन योजना, स्थल योजना इत्यादि में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किए गए अनुसार मैटिरियल/नोन मैटिरियल संशोधन कर सकती है।
18			अध्यक्ष अभातशिप के पास प्रत्यायोजित शक्तियाँ परिषद् द्वारा अभातशिप के अध्यक्ष के पास दो कार्यकारिणी/परिषद् की बैठकों की समयावधि के बीच संस्थान को प्रेषित किए जाने वाले तात्कालिक मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। तथापि, ऐसे मामले पुष्टि हेतु आगामी कार्यकारिणी समिति/परिषद् में रखे जाएंगे।
19			निर्वचन इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा परिषद् का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
20			छूट देने की शक्ति परिषद् अपवादस्वरूप मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा राष्ट्रहित में अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, संस्था के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./433/19]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2020

All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2020

F. No. AB/AICTE/REG/2020.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Sections 10 and 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in supersession of the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2018 notified in the Gazette of India vide F. No: AB/AICTE/REG/2018 dated 31st December, 2018, the AICTE makes the following Regulations:

Preamble:

To regulate/ facilitate in an organized manner, the Technical Institutions in maintaining quality and to follow the norms consistent with the ideals of AICTE and further to create an enabling environment for the Technical Institutions to become high quality Institutions, AICTE, in exercise of powers conferred under sub section (1) of Section 23 read with Sections 10 and 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987, hereby makes the following Regulations namely:—

1**Short Title, Application and Commencement**

- 1.1 These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for the Technical Institutions) Regulations, 2020.
- 1.2 These Regulations are applicable for the applications submitted by the Institutions/ Institutions Deemed to be University offering/ propose to offer a Technical Programme at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Level as under:
- a. Setting up a new Technical Institution;
 - b. Extension of Approval based on Self-Disclosure;
 - c. Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s);
 - d. Change of Site/ Location;
 - e. Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa;
 - f. To start new Programme/ Level in the existing Institutions;
 - g. Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus;
 - h. Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year/ Restoration of Intake;
 - i. To start Diploma/ Degree in Pharmacy in existing Institutions;
 - j. Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/Children of Indian Workers in Gulf Countries;
 - k. Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa;
 - l. Increase in Intake/ Additional Course(s);
 - m. Introduction of Integrated/ Dual Degree Course;
 - n. Closure of the Institution;
 - o. Conversion of PGDM Course(s) into MBA Course(s) and vice-versa;
 - p. Closing of MCA Course and Introduction of MBA/ PGDM Course and vice-versa;
 - q. Conversion of Courses into allied Vocational Courses;
 - r. Introduction/ Continuation of Fellow Program in Management;
 - s. Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/ Course(s);
 - t. Change in the Name of the Institution or affiliating University/Board/ Change of type of Institution;
 - u. Change in the Minority Status of the Institution;
 - v. Change in the Name of the Bank;
 - w. Change in the Name of the Trust/ Society/ Company;
 - x. Extended EoA;
 - y. Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign Universities/ Institutions in the field of Technical Education, Research and Training;
 - z. Introduction of Open and Distance Learning Courses/ Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of new Courses/ Closure of Courses in Open and Distance Learning mode; and
 - aa. Introduction of Vocational Education Courses/ Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of new Courses/ Closure of Vocational Courses.
- 1.3 These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

- 1.4 In compliance to the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the Institutions intending to offer/ offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture is mandatory, however interested Institutions may apply to the AICTE for approval.

2

Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires

- 2.1 "Academic Year" means academic activities of the concerned affiliating University/ Board/ Technical Institution in a Year (Odd Semester followed by Even Semester).
- 2.2 "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).
- 2.3 "Adjunct Faculty" means resource person as per the guidelines specified in the Approval Process Handbook.
- 2.4 "Affidavit" is a written sworn statement of fact voluntarily made by a deponent under an oath or affirmation administered by a person authorized to do so by Law. Such statement is witnessed as to the authenticity of the deponent's signature by a taker of oaths, such as a Notary Public or Commissioner of Oaths.
- 2.5 "AICTE Web-Portal" means the Web site hosted by the Council at URL www.aicte-india.org.
- 2.6 "Applicant" is the one who makes an application to the Council for seeking any kind of approval under these Regulations.
- 2.7 "Approval Process Handbook (APH)" is a Handbook published by AICTE, prescribing norms and procedures for processing of applications submitted for grant of various approvals from time to time.
- 2.8 "Approved Institution" means the Technical Institution approved by the Council.
- 2.9 "Approved Intake" means the maximum number of students that can be admitted in a Course (excluding the Supernumerary Seats) as approved by the Council.
- 2.10 "Autonomous Institution" means an Institution to which autonomy is granted by UGC and is designated to be so by the Statutes of Affiliating University/ Board or by AICTE to Standalone Institutions.
- 2.11 "Break in EoA" means break in the Extension of Approval of the Institution in the previous year(s).
- 2.12 "Build-Operate-Transfer (BOT)" means a project financing, wherein a private entity receives a concession from the public sector to finance, design, construct and operate a facility stated in the concession contract.
- 2.13 "Chairman" means the Chairman of AICTE as described under sub-section 4(a) of Section 3 of AICTE Act, 1987.
- 2.14 "Co-ed Institution" means the Institution admitting male, female and transgender students.
- 2.15 "Commission" means the University Grants Commission (UGC) established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.16 "Company" means a Company established/ registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- 2.17 "Competent Authority for Admission" means an Organization that has, the legally delegated authority, capacity, or power to do admission to Technical Institutions in the State Government/ UT concerned.
- 2.18 "Compliance Report" means the Report submitted by the Technical Institution complying with the requirements as specified in the Approval Process Handbook for the deficiencies observed by Expert Visit Committee/ issues mentioned in the Show Cause Notice.
- 2.19 "Constituent College" means an Institution/ Department/ College/ School as a part of the University.
- 2.20 "Council" means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.

- 2.21 “Course” means one of the branches of learning in a Programme such as Civil Engineering, Mechanical Engineering, etc.
- 2.22 “Division” means
- a. A batch of a maximum of Sixty (60) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses in Engineering and Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ Post Graduate Courses in MCA/ PGCM/ PGDM/ MBA Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - b. A batch of Sixty (60) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses and to a maximum of Hundred (100) seats in Under Graduate Degree Courses in Pharmacy Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - c. A batch of a maximum of Forty (40) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses in Architecture/ Planning Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - d. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses in Applied Arts and Crafts Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - e. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Diploma/ Under Graduate Degree Courses in Design Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - f. A batch of a maximum of Thirty (30) seats in Post Graduate Courses in Engineering and Technology/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Hotel Management and Catering Technology Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - g. A batch of a maximum of Twenty (20) seats in Post Graduate Courses in Architecture Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - h. A batch of a maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Courses in Design Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - i. A batch of a maximum of Fifteen (15) seats in Post Graduate Courses in Pharmacy, Thirty (30) seats in Pharm.D., Ten (10) seats in Pharm.D. (Post Baccalaureate) in Pharmacy Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - j. A batch of a maximum of Sixty (60) seats in Integrated Degree Courses in Engineering and Technology/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA Programme and Integrated/ Dual Degree Course in MBA Programme, excluding supernumerary seats, if any;
 - k. A batch of a maximum of Forty (40) seats in Integrated Degree Course in Planning Programme, excluding supernumerary seats, if any; and
 - l. A maximum of Twenty (20) seats per year in Fellow in Management Programme.
- 2.23 “EoA” means Extension of Approval granted by AICTE for the conduct of Technical Programme(s)/ Course(s) to an Institution for that Academic Year.
“Extended EoA” means Extension of Approval granted by AICTE for the conduct of Technical Programme(s)/ Course(s) to an Institution for more than one Academic Year.
- 2.24 “Executive Committee” means the Committee constituted by the Council under Section 12 of AICTE Act, 1987.
- 2.25 “Expert Visit Committee (EVC)” means the Committee constituted by the Regional Officer as per the composition specified in the Approval Process Handbook to verify physically the availability of Infrastructural facilities of an Institution.
- 2.26 “Faculty member” means an individual qualified as per AICTE Regulations, working on Full Time basis in an Institution/ University.
- 2.27 “First Shift timing” means educational activities of the Technical Institution are conducted from 8 am to 3 pm.
- 2.28 “Foreign National” means the Citizen of the Countries other than India who are not of Indian origin as defined under OCI/ PIO.
- 2.29 “Government aided Institution” means Technical Institution that meets 50% or more of its recurring expenditure out of the grant received from the Government or Government Organizations.

- 2.30 “Government Institution” means Technical Institution established and/ or fully maintained by the Government.
- 2.31 “Head of the Institution” means the Vice-Chancellor in case of a University or an Institution Deemed to be University, the Principal/ Director/ such other designation as the administrative Head of the Institution of the Technical Institution referred.
- 2.32 “Institution Deemed to be University” means an Institution for Higher Education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.33 “Lateral Entry” means admission of students into the second year of Diploma/ Under Graduate Degree Courses as specified in the Approval Process Handbook.
- 2.34 “Level” means Diploma, Post Diploma Certificate, Under Graduate Degree, Post Graduate Diploma and Post Graduate Degree Programmes.
- 2.35 “Minority Institution” means an Educational Institution established and administered by a minority or minorities and recognized by Competent Authority as Minority Institution upto the duration specified.
- 2.36 “NBA” means the National Board of Accreditation, an autonomous body initially set up by AICTE, registered under Societies Registration Act, 1860.
- 2.37 “Open and Distance Learning (ODL)” mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, MOOCs, online and occasional interactive face-to-face meetings arranged by an Institution through Learner Support Services to deliver teaching-learning experience, including practical or work experience.
- 2.38 “Part Time timing” means educational activities of the Technical Institution are conducted from 5.30 pm to 9.30 pm and are meant only for working professionals or professionals with at least two years of work experience. Duration of the Course shall be a minimum of one/ two Semester(s) in excess than the Courses conducted in Regular Shift timing.
- 2.39 “Private University” means a University duly established through a State/ Central Act by a sponsoring body viz., a Society registered under the Societies Registration Act 1860, or any other corresponding Law for the time being in force in a State or a Public Trust or a Company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- 2.40 “Programme” means the field of Technical Education, i.e. Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture and Planning, Applied Arts, Crafts and Design, Hotel Management and Catering Technology, MCA, Management (PGCM/ PGDM/ MBA) and such other Programmes/ areas as notified by AICTE Act, 1987.
- 2.41 “Public Private Partnership (PPP)” means a Partnership based on a contract or concession agreement, between a Government or Statutory entity on the one side and a Private Sector enterprise on the other side.
- 2.42 “Regional Committee (RC)” means a Committee established for each region under Section 14 of AICTE Act, 1987.
- 2.43 “Regular Shift timing” means educational activities of the Technical Institution are conducted from 9 am to 5 pm.
- 2.44 “Restoration of Intake” means restoring back to the “Approved Intake” of the Institution that was existing prior to any penal action.
- 2.45 “Second Shift timing” means educational activities of the Technical Institution are conducted from 12 Noon to 7 pm.
- 2.46 “Self-Financing Institution” means an Institution started by a Trust/ Society/ Company and does not receive grant/ fund from Central/ State Government/ UT for meeting its recurring expenditure.
- 2.47 “Society” means a Society registered under Societies Registration Act, 1860.
- 2.48 “Standalone Institutions” means those Institutions which are not affiliated to any of the University/ Board, but are imparting education by means of conducting regular courses leading to Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate

- Diploma Levels in Management, Travel and Tourism, Innovation and Entrepreneurship, Computer Applications and Design.
- 2.49 “Standing Appellate Committee (SAC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in the Approval Process Handbook for considering the appeals of the Technical Institutions.
- 2.50 “Standing Complaint Scrutiny Committee (SCSC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in the Approval Process Handbook for the Scrutiny of Complaints received against the Technical Institutions.
- 2.51 “Standing Hearing Committee (SHC)” means a Committee constituted by the Chairman as per the composition specified in the Approval Process Handbook to review the Reports of the Expert Visit Committee/ replies received for Show Cause Notices.
- 2.52 “State Level Fee Committee” means a Committee notified by the concerned State Government/ UT for Regulation of fee to be charged by the Technical Institutions.
- 2.53 “Supernumerary seats” includes TFW, OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, Lateral Entry, PwD and J&K PMSSS seats notified from time to time, over and above the “Approved Intake”.
- 2.54 “Technical Institution” means an Institution set up by the Government, Government aided and Self-Financing/ Trust/ Society/ Company for conducting Course(s)/ Programme(s) in the field of Technical Education, Training and Research in Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture and Planning, Applied Arts, Crafts and Design, Hotel Management and Catering Technology, MCA, Management, and such other Programmes and areas as notified by AICTE Act, 1987.
- 2.55 “Total Approved Intake” includes Intake approved in all the Programme(s)/ Course(s) of an Institution.
- 2.56 “Trust” means a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 as amended from time to time or any other relevant Acts.
- 2.57 “University” means a University defined under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956.
- 2.58 “University Department” means a Department established and maintained by the University.
- 2.59 Any other word and expression used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3

Relevance of Grant of Approval

- 3.1 After commencement of these Regulations
- a. New Technical Institutions either by Government/ Government aided or Self-financing Institutions shall be started ONLY after obtaining approval of the Council.
 - b. Existing Government/ Government aided/ Self-financing Institutions/ Institutions Deemed to be Universities (except Category I/ II) shall either conduct/ increase/ reduce the intake in the existing Course(s)/ Programmes or introduce new Programme(s)/ Course(s) at any Level in Regular mode ONLY after obtaining approval of the Council.
 - c. In no eventuality, a Technical Institution without prior approval of AICTE and Affiliating University/ Board concerned, shall be allowed to participate in the counselling and admission process to admit students.
 - d. Affiliating University/ Board shall not enroll students admitted in such Technical Institutions, which do not have requisite prior approval of the Council.
 - e. Central/ State Government/ UT concerned shall not admit students to any Programme of a Technical Institution, which do not have requisite prior approval of the Council.
 - f. Institutions Deemed to be Universities offering Technical Course(s)/ Programme(s) shall not admit students without prior approval of the Council.
 - g. Existing Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities shall either conduct/ increase/ reduce the intake in the Open and Distance Learning Courses or introduce Courses at any Level ONLY after obtaining approval of the Council.

- 3.2 a. In view of the large number of vacant seats in various Programmes during the last few years and the likely future demand, the Council shall not grant approval to the New Technical Institutions at the Diploma/ Under Graduate/ Post Graduate Level in Engineering and Technology in line with the recommendations of the Committee set up by AICTE to provide the National Perspective Plan for Technical Programmes. However, establishment of New Technical Institutions in Engineering and Technology shall be permitted only in cases as specified in the Approval Process Handbook from time to time.
- b. Under Graduate Degree Courses with Minor Degree / Hons. in Emerging Areas shall be allowed as specified in the Approval Process Handbook from time to time..
- c. Establishment of New Pharmacy Institutions for offering Diploma/ Degree Courses in Pharmacy shall not be permitted for a period of Two years beginning from the Academic Year 2020-21. However, establishment of New Technical Institutions in Pharmacy shall be permitted only in cases as specified in the Approval Process Handbook from time to time.

4**Generic Conditions for Approval**

- 4.1 a. The Applicants shall not name the Technical Institution in such a way that the abbreviated form of the name of the Technical Institution becomes IIM/ IIT/ IISc/ NIT/ AICTE/ UGC/ MHRD/ GoI. The Applicant shall also not use the word(s) Government/ India/ Indian/ National/ All India/ All India Council/ Commission, anywhere in the name of the Technical Institution and other names as prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), Act, 1950. Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable, if the Technical Institution is established by Government of India or its name is approved by the Government of India.
- b. The Institutions which were already given approval with those words shall be instructed to change/ drop the word from the Name of the Institution, as the Stake holders may misinterpret them to be Government/ Government Aided Institutions.
If any Institution (other than Government/ Government Aided) continue to use 'Indian', 'National', etc. in the Name of the Institution, the Council shall remove such words while issuing EoA.
- c. Applicants/ Institutions shall not use the names of the Existing Institutions within the State.
- 4.2 MHRD directives such as Scheme of "Sub-Mission on Polytechnics", to establish a Technical Institution in "Educationally Backward Districts/ Left Wing Extremism (LWE) affected" Districts, digital payment for all financial transactions, National Academic Depository (NAD), Study in India and any other scheme(s) shall be complied with, as specified in the Approval Process Handbook.
- 4.3 AICTE does not recognize the Programme(s)/ Course(s) in Technical Education offered through distance mode except Management, MCA and Diploma/ Degree in Travel and Tourism Programmes, with the explicit approval of AICTE.
- 4.4 To maintain the quality of Education, 60% of the eligible Courses in any Technical Institution shall be accredited in the next 3 years time, else EoA shall not be issued by the Council.
- 4.5 For Institutions having Courses with meager admission consistently, appropriate action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated with the approval of the Council.
- 4.6 Supernumerary seats
- a. Fifteen percent (15%) supernumerary seats over and above the "Approved Intake" per Course shall be approved in AICTE approved Institutions and University Departments, for admitting students from Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries. One third (1/3rd) of these 15% seats shall be reserved for the Children of Indian Workers in the Gulf Countries.
Any vacant seat in a given Course, out of 1/3rd seats reserved for Children of Indian Workers in the Gulf Countries shall be reverted to the seats of 2/3rd meant for OCI/ PIO/ Foreign Nationals and vice-versa. Further, any vacant seat in the "Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries" after the last round of the admission of the concerned State

Government/ UT may be filled with NRI seats, subject to the approval from AICTE for the NRI seats and fulfilment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

Beside this, any vacant seat in the “Approved Intake” after the last round of the admission of the concerned State Government/ UT, may be filled with NRI/ Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Persons of Indian Origin (PIO)/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries, subject to the approval from AICTE for the above seats and fulfilment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.

- b. The Council shall permit the Introduction/ Continuation of NRI/ OCI/ PIO/ FN/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries seats ONLY in the timing of Regular/ First Shift.
- c. Mandatory provision of supernumerary seats under Tuition Fee Waiver Scheme in all the Courses and Programmes shall be applicable to all Technical Institutions as specified in the Approval Process Handbook.

4.7 Admission under Lateral Entry in Diploma/ Under Graduate Degree Course(s).

- a. Lateral Entry to Second Year Diploma Course(s) shall be permissible up to a maximum of 10% of the “Approved Intake” which shall be over and above, supernumerary to the “Approved Intake”, plus the unfilled vacancies of the First year as specified in the Approval Process Handbook.
- b. Lateral Entry to Second Year Under Graduate Degree Course(s) in Engineering and Technology/ Pharmacy Programme shall be permissible up to a maximum of 10% of the “Approved Intake” which shall be over and above, supernumerary to the “Approved Intake”, plus the unfilled vacancies of the First year as specified in the Approval Process Handbook.
- c. Any Foreign National who has obtained Diploma in a Foreign Institution (having an equivalency Certificate issued by the Association of Indian Universities) or Diploma in an Indian Institution shall also be eligible for Lateral Entry into the Second Year Under Graduate Degree Course(s). The Institutions having approval for the supernumerary seats in such Course(s) are ONLY eligible to admit the Foreign Nationals as per the norms, else the Institution shall apply for the same on AICTE Web-Portal. However, the total Foreign Nationals admitted under supernumerary seats and the Lateral Entry shall not exceed the 15% of the “Approved Intake” in an Academic year.
- d. NRI candidates shall also be permitted for admission in Lateral Entry to Second Year, subject to the approval from AICTE for the NRI seats and fulfilment of requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.
- e. Vacant seats arising out of the students withdrawing the admission in the First Year shall also be considered for Lateral Entry.
- f. The Council shall not permit the Introduction or Continuation of Lateral Entry Separate Division in Second Year Engineering and Technology/ MCA Courses.

4.8 The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Such Institution shall be permitted to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2019-20.

EWS vacant seats shall be considered for the Lateral Entry to Second Year Course(s) with the same reservation policy for admission.

4.9 Requirements for the new/ existing Institutions/ Institutions Deemed to be Universities conducting Technical Programmes

- a. ALL the Technical Institutions shall fulfil the requisite norms as specified in the Approval Process Handbook.
- b. Documents showing ownership of Land/ Building as per the provisions of Section 8 of the Transfer of Property Act, 1882 or any other Law for the time being in force relating to

transfer of property to or by Companies, Associations or bodies of individuals, in the name of the Applicant in the form of Registered Settlement Deed/ Registered Sale Deed/ Irrevocable Gift Deed (Registered)/ Irrevocable Government/ Private Lease Deed (Registered) (for a period of minimum 30 years with at least 25 years of live Lease at the time of submission of application). However, Private Lease of Building is permissible ONLY for Mega/ Metro Cities due to the scarcity of Land.

Further to that, it shall be open for the Promoter Trust/ Society/ Company of the proposed Institution to mortgage the Land after the receipt of Letter of Approval, only for raising the resources for the purpose of development of the Technical Education Institution situated on that Land. It shall be open for the Promoter Trust/ Society/ Company of the existing Institution to run other Educational Courses/ Institutions in the surplus Land arising out of the prevailing/ reduced norms of Land requirement. However, such surplus Land shall be used as per the Land Use Certificate given to the Trust/ Society/ Company by the concerned authority, subject to such Courses/ Institutions having their own facilities to conduct such Programmes without sharing the essential infrastructure facilities such as Class Room, Laboratory etc. with the already approved Technical Institution. However, common amenities such as Administrative infrastructure, Canteen, Auditorium, Playground, Parking, etc. may be shared, provided it caters to all the students of all the Programmes.

- c. The Promoter Trust/ Society/ Company of a new Technical Institution shall have to construct the required Built-up area for setting up of Institution, as specified in the Approval Process Handbook.
 - d. NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT shall be required, as applicable, for such applications as specified in the Approval Process Handbook.
- 4.10 The Institutions shall not directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat in any Course.
- 4.11 Course(s) conducted in the timing of Part time are permitted with the rationale that the existing facilities of the same Course(s) offering in the timing of Regular/ First Shift shall be utilized. Therefore, Course(s) shall not be conducted in the timing of Part Time, if the Institution is not offering the same Course(s) in the timing of Regular/ First Shift or other Level (Diploma/ Under Graduate Degree) of the same Programme.
- 4.12 The Council shall not permit the Post Graduate Course(s) (except MCA and Management), if the Institution is not offering an Under Graduate (Core) Course in the same Programme. However, the same is permitted to State/ Central Universities or Autonomous Government Institutions offering Only Post Graduate Courses in Engineering and Technology.
- 4.13 The Council shall not permit the conduct of PGDM and MBA Courses in the same Institution.
- 4.14 In general, the teaching learning process shall take place either in the form of “face to face” mode in a class room (Regular Course) or “Open and Distance Learning” mode by providing flexible learning using a print, electronic, MOOCs, online and occasional interactive face-to-face meetings.
- The Courses offered in the timings of Regular Shift, First Shift, Second Shift and Part Time shall be considered as Regular Courses. The Institutions shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements to offer the Regular Courses as per the norms specified in the Approval Process Handbook for the Total Approved Intake and the Institutions may conduct the Courses in the timings of Regular Shift, First Shift, Second Shift and Part Time not exceeding the “Approved Intake” of each Course, as per the convenience of all stakeholders. All such Institutions shall create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities within 2 Years to fulfil the norms. Student enrolment details shall be uploaded in the Web-Portal.
- The Institutions shall run Skill Development Courses, Student Developmental Activities such as Research Park, Start-up Centre, Innovation Club, Entrepreneurship, etc. in the excess Built-up area.
- 4.15 The AICTE approved Institutions shall be permitted to collaborate with each other for Student Exchange Programme so that the students admitted in an Institution may spend one Semester in another Institution.

- 4.16 An Institution can only allow up to 20% of the total Courses being offered in a particular Programme in a Semester through the Online Learning Courses provided through SWAYAM platform as per the AICTE (Credit Framework for online learning course through SWAYAM) Regulations, 2016.

5 **Submission of the applications**

- 5.1 Application for grant of approval under these Regulations shall be made by any of the following:
- a. The Chairman/ Secretary in case of the Trust/ Society/ Company;
 - b. An Officer authorized by the concerned Central/ State Government/ UT in case of Central or State Government/ UT Administration or a Society/ Trust registered with them; and
 - c. An Officer authorized by the Trust/ Society/ Company/ Central/ State Government/ UT under Public Private Partnership or Build Operate Transfer (BOT) mode made by them, as the case may be.
 - d. Principal/ Director of the Technical Institution or Head of the Institution or an Officer of the Institution duly authorized by the Promoter of such Institution or Chairman/ Secretary in case of the Trust/ Society/ Company or Vice Chancellor/ Registrar of Institution Deemed to be University.
- 5.2 A Company having any foreign equity directly or indirectly as shareholding shall not be permitted to apply for setting up a Technical Institution.
- 5.3 Central, State and Private Universities may apply for approval by providing Infrastructure and other requirements as specified in the Approval Process Handbook.
- 5.4 a. Institutions Deemed to be Universities shall seek prior approval of the Council under Clause 1.2 of these Regulations. The requirements, eligibility and procedure shall be as specified in the Approval Process Handbook.
- Further to that, the Institution Deemed to be Universities shall also have to fulfil the norms as per UGC Regulations.
- b. Universities seeking approval for the first time from AICTE shall submit an application as a new Technical Institution for all their existing Technical Programme(s) and Course(s). Institution Deemed to be University having multiple Campuses/ Off Campuses/ Constituent Colleges shall apply separately for approval.
- 5.5 The Council shall publish, from time to time, Approval Process Handbook detailing the documents to be attached to the application, the Technical Education Regulatory (TER) Charges to be remitted, the norms and standards, requirements and the procedure by which the applications are processed for grant of approval of the new/ existing Institutions.
- 5.6 a. The Applicant for setting up a New Technical Institution shall obtain a unique USER ID following the procedure specified in the Approval Process Handbook.
- The Applicants/ existing Institutions shall be required to submit online application for the cases listed in Clauses 1.2 of these Regulations using their unique USER ID allotted to them by remitting the prescribed Technical Education Regulatory (TER) Charges as specified in the Approval Process Handbook through AICTE's payment gateway on the Web-Portal, failing which the application shall not be considered.
- b. Only those applications submitted within the cut-off date, including payment shall be considered for processing.
 - c. The Web-Portal permits the generation of Deficiency Report for the applications.
 - d. The Applicants shall edit the data till the final submission of the application on the Web-Portal.
After pressing the "submit" tab, the data shall not be allowed for any further editing till the processing of the application is completed.
 - e. If an Applicant/ Institution has wrongly submitted an application, the same shall be processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook.
 - f. After the submission of the application, if an Applicant intends to revoke the application for a specific purpose (other than Extension of Approval) or withdraw the application for

Closure of the Institution/ Programme(s)/ Course(s), the same shall be processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook.

- g. Applicants have to upload documents in the Web-Portal/ submit to the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee/ Expert Visit Committee, as applicable, as specified in the Approval Process Handbook.
- h. An Affidavit shall be submitted/ uploaded by the Applicants in the Format as specified in the Approval Process Handbook, on a Non-Judicial Stamp Paper of ₹100/- duly sworn before a First Class Magistrate or Notary or an Oath Commissioner, inter alia, stating that the information given in the application is true and that if it is found at any time that any part of the information has been suppressed and/or misrepresented and/or the information given in the application is false, the Council shall be free to take action including Withdrawal of Approval/ not considering for grant of approval and/ or any other legal action as it may deem fit.
- i. In case of rejection of an application, the applicable TER Charges shall be refunded as specified in the Approval Process Handbook.
- j. The applications eligible to submit “Year round” along with the applicable TER Charges as specified in the Approval Process Handbook shall make payment through online mode.
The applications submitted after the cutoff date mentioned in the Public Notice shall not be processed during the current Academic Year, but shall be processed for the successive Academic Year only.

6

Processing of the applications and Grant of Approval

6.1 The applications received shall be processed as per the norms and procedures specified in the Approval Process Handbook as notified by the Council from time to time, in addition to the existing Central, State and Local Laws.

6.2 For setting up a new Technical Institution

- a. The State Government/ UT and the Affiliating University/ Board shall forward their views on the applications received under Clause 1.2. a of these Regulations to the concerned Regional Office, not later than one week from the last date of submission of application as notified.

In the absence of the receipt of views from the State Government/ UT/ Affiliating University/ Board on the application, the Council shall proceed for further processing.

- b. The applications received under Clause 1.2. a of these Regulations, shall be processed by a Scrutiny Committee/ Re-Scrutiny Committee duly formed by the Regional Officer as per the composition as specified in the Approval Process Hand Book, for issue of Letter of Intent (LoI) and the Applicant shall present all the original documents along with self-attested copies to the Committee. Applicants are advised to adhere to Scrutiny schedule and not to remain absent.

The Applicant, if interested to start the Institution in the current Academic Year itself, shall submit a Resolution to that effect to Scrutiny/Re-Scrutiny Committee.

- c. The recommendations of the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee shall be placed before the Regional Committee for its recommendation and further placed before the Executive Committee for approval or otherwise.
- d. In case of new Technical Institutions, the Council if deems fit shall grant approval to issue the Letter of Intent (LoI) for the given Academic Year, the same shall be valid for two Academic Years.

Within the validity period, after the establishment of Infrastructure facilities as per the requirements, the Applicant shall apply on AICTE Web-Portal for the Letter of Approval anytime in the year. In case of the Applicant expressing interest in getting Letter of Approval (LoA) in the current Academic Year itself, the same shall be processed further by an Expert Visit Committee.

Expert Visit Committee formed by the Regional Officer as per the composition as specified in the Approval Process Hand Book shall verify physically the availability of infrastructural facilities of the Institution.

On expiry of the validity, the Letter of Intent (LoI) issued stands cancelled and the Applicant shall make a fresh application for the issuance of Letter of Intent (LoI).

- e. The recommendations of the Expert Visit Committee shall be placed before the Regional Committee for its recommendation and further placed before the Executive Committee for approval or otherwise.
- f. Regional Officer concerned while forwarding the recommendations of the Regional Committee to Approval Bureau of AICTE, for placing before the Executive Committee, shall verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee and Expert Visit Committee (as applicable) and the Regional Committee.

The Approval Bureau of AICTE shall also verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee and Expert Visit Committee (as applicable) and the Regional Committee.

- g. The decision of the Executive Committee shall be uploaded on the Web-Portal in the form of a Letter of Intent (LoI)/ Letter of Approval (LoA) or Letter of Rejection (LoR) with the specific reasons for rejection of the application.
- h. Applicants for starting new Technical Institutions other than Government/ Government aided Institutions whose applications are recommended for Letter of Approval (LoA) by the Executive Committee shall be informed for the creation of Security Deposit.

The existing Institutions approved by the other Regulatory Bodies, applying for the first time to the Council for approval and are in existence for more than 10 years are exempted from the payment of Security Deposit.

The Applicant shall submit the payment proof of the Security Deposit along with an Affidavit within 15 days from the date of intimation to the concerned Regional Office, else a penalty of 10% and 50% of the value of the Security Deposit shall be imposed upto 31st May and 31st July of the Calendar Year respectively, beyond which the approval shall be withdrawn.

- i. The online Security Deposit amount created by the Technical Institution with AICTE shall be permitted to be withdrawn after a term of 10 years or in case of the Closure of the Programme/ Institution, subject to the submission of relevant documents. The interest accrued on the Security Deposit shall be credited to the Council and shall be utilized by AICTE for Institutional Development activities, Quality Improvement Programme for Faculty and giving scholarships to students, etc. However, the term of the Security Deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions and requirements and/or Non-performance by the Institution and/or complaints against the Institution.
- j. Validity of the Letter of Approval for the new Technical Institutions, if issued, shall be for two Academic Years from the date of issue of Letter of Approval, only for obtaining affiliation from the respective University/ Board and fulfilling State Government/ UT requirements for admission in the current Academic Year.

ALL the Applicants issued LoA for starting the new Technical Institutions shall apply on AICTE Web-Portal for Extension of Approval as specified in the Approval Process Handbook from the next Academic Year onwards, irrespective of the admission of the students or otherwise.

On expiry of the validity of two Academic Years, the LoA issued stands cancelled, if no students were admitted in the Institution and the Applicant shall make a fresh application for the issuance of Letter of Intent.

- k. New Technical Institutions granted Letter of Approval and existing Institutions granted approval for introduction of new Course(s), Division(s), Programme(s), variation in intake capacity shall comply with appointment of Faculty and Principal/ Director as the case may be, as per the policy of the Council.

Institutions other than Minority Institutions shall appoint Faculty/ Principal/ Director and other technical supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the

methods and procedures of the concerned Affiliating University/ Board/ State Government/ UT particularly in case of selection procedures and selection Committees.

The information about these appointments of staff in the prescribed format shall be uploaded on the Web-Portal of AICTE.

- l. An Expert Visit Committee may be conducted any time before the first batch of students have passed out, to verify the fulfilment of the norms as specified in the Approval Process Handbook.
- m. Applicants issued Letter of Intent (LoI) but rejected after the Expert Visit Committee shall inform the Council about their readiness of infrastructure after making the relevant payment through online as an additional TER Charges for the conduct of Expert Visit Committee, the same shall be processed for the next Academic Year. However, one Expert Visit Committee per year only shall be permissible within the validity period of Letter of Intent (LoI).

6.3

For the existing Institutions

- a. For applications submitted under Clause 1.2, the Council shall grant the desired approval, only after confirming that the Applicant had fulfilled all the norms and standards through the procedure as specified in the Approval Process Handbook. The Council reserves the right to inspect and if any of the information submitted is found to be false, shall initiate penal action as specified in the Approval Process Handbook.
- b. In case of the existing Institutions, if an EVC was conducted or Show Cause notice was issued, the same shall be placed before the Standing Hearing Committee (SHC) as applicable and processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook. If the Institution is aggrieved by the decision of the Executive Committee, the Institution shall have the right to appeal once to the Council, as per the procedure specified in the Approval Process Handbook.
- c. If the application for the Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa/ Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa/ To start new Programme/ Level is not approved, EoA of the Institution shall be issued, however, the deficiencies noted by the Scrutiny/ Re-Scrutiny/ Expert Visit Committee shall be fulfilled before the issue of EoA for the next Academic Year.

- d. The application for the Closure of Institution shall be valid for the duration of the respective Programme offered by the Institution within which the Institution should submit the required mandatory documents. Else, AICTE may close the Institution with the intimation to the Affiliating University/ Board and the State Government/ Union Territory and shall issue a Public Notice regarding the same.

The application for the Closure of the Programme(s)/ Course(s) shall be valid for the duration of the respective Course offered by the Institution within which the Institution should submit the required mandatory documents. Else, AICTE shall initiate appropriate action to close the Programme(s)/ Course(s).

- e. Change in name of the Trust/ Society/ Company including merger of two or more Trusts/ Societies/ Companies having the same common objects of education etc. shall be permitted as per the respective Laws laid down in the Acts.

A Trust/ Society may create a new Company to hold their assets, and once the transfer of assets is complete, the Trust/ Society may be dissolved and the ownership may be transferred to the Company. Such viability shall vary depending on the jurisdiction and context.

- f. Institutions shall be eligible for new Course(s)/ expansion of existing Course(s), equal to the number of valid NBA accredited Course(s), limited to a maximum of FOUR within the definition of Division/ Programme/ Level.

Increase in Intake/ Additional Course in Under Graduate Degree/ Post Graduate Degree Level in Engineering and Technology shall be permissible only in EMERGING AREAS.

- g. Institutions having an "Approved Intake" less than a Division size in any of the Course(s) as prescribed by the Council may apply for intake of full Division size themselves and shall maintain Faculty: Student ratio accordingly, without NBA accreditation/ NOC from Affiliating University/ Board/ State Government/ UT, subject to "Zero Deficiency" based

on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal. However, this is not applicable in case of Institutions under penal action.

- h. Institutions may apply for reduction in Intake in any of the Course(s) within a Division by themselves in AICTE Web-Portal and maintain Faculty: Student ratio accordingly without NOC from affiliating University/ Board/ State Government/ UT and the reinstatement shall be permitted within a Division without NBA. Institutions may apply for reinstatement for the same by themselves in AICTE Web-Portal.
- i. The existing Institutions having total “Approved Intake” equal to/ less than the “Maximum Intake Allowed”/ Institutions not eligible to apply for NBA accreditation, shall be permitted to increase (without NBA accreditation) in the same Level in the same Programme (Diploma/ Under Graduate/ MCA/ Management) upto the “Maximum Intake Allowed” in each Programme as that of a new Technical Institution, as per the Approval Process Handbook, subject to “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal.
- j. The existing Institutions having total “Approved Intake” exceeding the “Maximum Intake Allowed” seeking for approval for Increase in Intake/ Additional Course(s) (without NBA accreditation) in the same Level in the same Programme (Diploma/ Under Graduate/ MCA/ Management) shall have to apply for the Closure of Course(s) as per the Procedure and shall apply for increase in Intake/ Additional Course(s) in lieu of the same, without exceeding the total “Approved Intake” as well as the number of Courses/ Divisions as specified in the Approval Process Handbook, subject to “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal.

Increase in Intake/ Additional Course in Under Graduate Degree in Engineering and Technology shall be permissible only in EMERGING AREAS.
- k. The Institutions applying for new Course(s) at the Post Graduate Level for the Programmes not falling under the purview of NBA, shall be eligible for the same only after two batches of students pass out. Such Institutions shall be permitted for new Course(s) to a maximum of FIVE Courses/ Divisions, subject to “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal. However, for every Post Graduate Course, there should be at least one Professor with Ph.D. qualification.

As and when such Programmes are considered by the NBA for accreditation, the Institutions who have been approved by the AICTE to run such Course(s) at the Post Graduate Level shall obtain NBA accreditation within two years.
- l. The existing Institutions offering Degree Pharmacy Programme shall only be permitted to introduce Pharm.D. Course based on a valid NBA accredited Course, subject to “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure on AICTE Web-Portal. However, the Institutions already offering Pharm.D. with the approval of PCI (prior to 2018) shall be processed without NBA accreditation.
- m. Well performing Institutions providing quality Technical Education through accreditation of Courses by NBA/ UGC approved academic autonomy/ AICTE approved Graded Autonomy to Standalone Institutions, shall be duly recognized by AICTE and considered for grant of approvals for Extended EoA as specified in the Approval Process Handbook. Institutions approved for extended EoA are waived from paying TER Charges for Extension of Approval (EoA) ONLY for the extended years. However, such Institutions are required to submit the application for EoA and duly fill all the data and maintain ALL the norms and standards as specified in the Approval Process Handbook.
- n. The Institution shall be given an opportunity to comply the deficiencies, if any, before the Scrutiny/ Re-Scrutiny Committee, to fulfil the criteria of “Zero Deficiency” based on Self-Disclosure, for processing the application, as applicable.
- o. Applicants, whose applications are recommended for a new Programme shall create the Security Deposit as specified in the Approval Process Handbook. The Applicant shall submit the payment proof of the Security Deposit along with an Affidavit within 15 days from the date of intimation to the concerned Regional Office, else a penalty of 10% and 50% of the value of the Security Deposit shall be imposed upto 30th May and 31st July of the Calendar Year respectively, beyond which the approval shall be withdrawn.

- 6.4 The uploading of the Scrutiny/ Re-Scrutiny/ Expert Visit Committee Report shall be done by the concerned Regional Office.
- 6.5 If any member of the Scrutiny/ Re-Scrutiny/ Expert Visit Committee is unable to attend or refuses or incapacitated to take part in the Committee, then Regional Officer with prior or post-facto approval of the Member Secretary, AICTE shall opt to choose another expert from the approved panel of the experts manually.
- 6.6 Institution Deemed to be University
- a. The Council shall approve the Technical Programme(s)/ Course(s) offered by the Institutions Deemed to be Universities falling under Category I/ II as notified by UGC. Such Institutions Deemed to be Universities shall have to adhere to the norms and standards as specified by AICTE from time to time and an Affidavit to this effect shall be submitted to AICTE and UGC.
- The application submitted by an Institution Deemed to be University falling under Category III as notified by UGC shall be processed as per the procedure mentioned in Clause 6.2/ 6.3 (as applicable) of these Regulations.
- b. Universities shall also submit applications for other Categories in Clause 1.2 of these Regulations. The requirements, eligibility and procedure shall be as per the concerned Clauses of the Approval Process Handbook. However, Expert Visit Committee for the Introduction of supernumerary seats for OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries for Category I/ II Universities shall be exempted.
- c. State University/ Central University/ Institution Deemed to be University (Government) are not required to pay the Security Deposit.
- Institution Deemed to be University (Private)/ Private Universities which were in existence for more than 10 years with UGC are exempted from the payment of Security Deposit.
- Universities which were granted approval from AICTE earlier as a Technical Institution and created Security Deposit and got released after the maturity period are not required to pay the Security Deposit, else the University shall pay the Security Deposit for the remaining period of 10 years, as applicable.
- d. Institutions Deemed to be Universities offering Technical Programme(s) approved by the Council, falling under Category I/ II as declared by UGC shall have to submit an application to the Council indicating the increase in Intake in the Courses/ New Course(s) in emerging areas. The Council shall be granting approval to those Courses. However, such Universities shall have to update the data in AICTE Web-Portal on annual basis and comply the norms and standards as specified by AICTE from time to time. The University shall annually submit Affidavit to AICTE and UGC to this effect. If any complaints are received about the violation of the norms, AICTE shall inspect the University and inform the UGC to take appropriate action. In case of Institution Deemed to be University, the action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated and informed to the UGC.
- e. Universities that have been recognized as an Institute of Eminence by the Ministry of HRD, Government of India shall be exempted from the annual approval process and accorded approvals for offering Technical Programmes/ Courses. However, such Universities shall have to update the data in AICTE Web-Portal on annual basis and comply the norms and standards as specified by AICTE from time to time. The University shall annually submit Affidavit to AICTE and UGC to this effect. If any complaints are received about the violation of the norms, AICTE shall inspect the University and inform the MHRD and UGC to take appropriate action. In case of Institution Deemed to be University, the action as specified in the Approval Process Handbook shall be initiated and informed to the MHRD and UGC.
- 6.7 Open and Distance Learning Courses
- The applications submitted by the Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities for conducting Courses in Open and Distance Learning mode shall be processed as per the norms and procedure specified in the Approval Process Handbook. Further, the Institutions shall submit the application to the Council every year for the Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of new Courses/ Closure of Courses in Open and Distance Learning mode.

- 6.8 Vocational Education Courses
The applications for the introduction of Vocational Education Courses shall be processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook and all other norms and standards as notified in NSQF Regulations and SAMVAY from time to time. Further, the Institutions shall submit the application to the Council every year for the Extension of Approval of the Courses/ Increase in Approved Intake in the Courses/ Introduction of new Courses/ Closure of Vocational Education Courses.
- 6.9 The applications submitted under Clause 1.2 of these Regulations shall be processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook. The consolidated list of all the Institutions with the “Approved Intake” shall be placed by the Approval Bureau before the Executive Committee/ Council for the grant of Extension of Approval as applicable for the Technical Institutions to continue to conduct Technical Programme(s) and Course(s). The decisions taken by the Executive Committee are ratified by the Council.
The same shall be notified on the Web-Portal. Further the Institution shall download the Extension of approval letter along with “Approved Intake” through the Institution login.
All Orders shall be uploaded by 30th April of the Calendar Year and the detailed speaking orders (in case of reduction in intake, No Admission, etc.) shall be uploaded in the Web-Portal not later than 15th May of the Calendar Year.
- 6.10 The Council shall not grant any conditional approval to any Institution.
- 6.11 AICTE shall also conduct inspections from time to time with or without notifying the dates, in such cases where specific complaints of falsification of documents, misrepresentation, violation of norms of standards, malpractices, etc. are received.
Institutions at random would be subjected to surprise inspection for the fulfilment of the norms of Approval Process Handbook and appropriate action including Withdrawal of Approval and any other action deemed necessary, shall be initiated against the Applicants, as the case may be.
- 6.12 For the Programmes/ Courses of the Institutions whose approval is withdrawn/ suspended by the Council, the concerned State Government/ UT shall redistribute the students to other nearby AICTE approved Technical Institutions affiliated to the University/ Board and the Council shall allow supernumerary seats in such Institutions to accommodate the redistributed students appropriately till they complete the Programmes/ Courses.
- 6.13 Directorate of Technical Education/ State Government/ UT/ Affiliating University/ Board shall download the intakes for various Courses for the Institutions under their jurisdiction, from Web-Portal through their login.
- 6.14 Student’s eligibility for admission to all the Programmes/ Courses shall be as specified in the Approval Process Handbook and as per the reservation policy of the Central Government/ respective State Government/ UT, as the case may be.
Any Foreign National who had obtained School Leaving Certificate/ Diploma/ Degree in a Foreign Institution shall produce an Equivalency Certificate issued by the Association of Indian Universities for admission to an Institution/ University in India.
The commencement and end of Classes for the academic sessions for all the Courses/ Programmes/ Levels shall be followed as specified in the Approval Process Handbook.
- 6.15 Any Institution offering Technical Programme(s)/ Course(s) without approval of the Council shall be termed as unapproved Institution.

7**Appeal before Standing Appellate Committee**

- 7.1 An Institution/ Applicant, if aggrieved by the decision of Executive Committee shall have the right to appeal once to the Council, within 7 days from the date of uploading of LoR. All the appeals submitted by the Applicants/ Institutions shall be placed before the Standing Appellate Committee. The final decision of the Council shall be uploaded on or before 30th April of the Calendar Year.
- 7.2 An Officer of the Council shall place the records before the Standing Appellate Committee. Two representatives of the Institution shall be invited to present their case along with the compliance and supporting documents before the Standing Appellate Committee.

- 7.3 The recommendations of Standing Appellate Committee shall be placed before the Council, whose decision shall be final.
- 7.4 The decision of the Council about the grant of approval or otherwise shall be communicated to the Applicant through Web-Portal on or before 30th April of Calendar Year, with the reasons for rejection of the application.

8 Time Limit for the grant of LoA/ EoA

LoA/ EoA shall not be granted after 30th April of every Calendar Year in view of the order dated 13.12.2012 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA no.9048/2012 titled as Parsvanath Charitable Trust and others Vs AICTE and Ors.

In case, the deficiencies are complied with subsequently during the Academic Year, the approval shall be granted under extraordinary circumstances, for the next Academic Year.

9 Requirements to be fulfilled after the grant of Approval

- 9.1 All Technical Institutions shall upload the information in respect of their Director/ Principal, Faculty members and students admitted in each Course in the format available on the Web-Portal of the Council and update the information from time to time. Scanned copies of PAN Card, Adhaar Card (if available) and Form 16 of all the faculty members shall also be uploaded on the Web-Portal.
- 9.2 The Institutions shall adopt the minimum standards and qualifications as specified in the Approval Process Handbook. However, Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall surpass the minimum standard and qualifications specified.
- 9.3 The Applicants are expected to provide the Council true and complete information and documents required for various purposes. If the information given and/or the documents provided to the Council are found to be false, incomplete and/or the Applicants have failed to disclose factual information and/or suppressed/ misrepresented the information, the Council shall initiate action including Withdrawal of Approval/ any other action as deemed necessary against the Applicants.
- If any document submitted is found to be fraudulent, criminal case shall be filed against the Principal of the Institution and the Chairman/ Secretary of the Trust/ Society/ Company.
- 9.4 In the event of denial of Extension of Approval for the existing Courses or grant of Extension of Approval as per the Clauses 6.11 and 9.3 of these Regulations, such Institutions shall not be considered for Extension of Approval till such proceedings are settled and the Promoters/ Institutions are cleared of the charges of violations.

10 Release of Security Deposit

The Trust/ Society/ Company shall apply online and upload/ submit the relevant documents in AICTE Web-Portal for the release of the Security Deposit and the same shall be processed as per the procedure specified in the Approval Process Handbook.

11 Action in case of violation of Regulations

- 11.1 An Institution offering any Technical Programme in violation of these Regulations shall be liable for initiation of legal action including Withdrawal of Approval, if any, and/or legal criminal action by the Council against the Institution and/or its Promoter Trust/ Society/ Company and individuals associated, as the case may be.
- 11.2 If any Technical Institution contravenes any of the provisions of relevant Regulations, the Council after making appropriate inquiry through Standing Hearing Committee (SHC) and after providing an opportunity of being heard through the Standing Appellate Committee (SAC) shall withdraw the approval granted. In case of Withdrawal of Approval to the Institution, the Technical Institution/ Trust/ Society/ Company shall apply afresh for approval after completion of two Academic Years for setting up a New Technical Institution as per the procedure specified in the Approval Process Handbook.
- 11.3 In case of any litigation pertaining to the penal action initiated by the Council for an Institution, for the contravention of any of the relevant Regulations, such Institution shall have to apply as specified in the Approval Process Handbook, as applicable in the next Academic Year in AICTE Web-Portal, in the absence of any specific court order to the contrary.

- 11.4 Penal Action in case of Violation of the Regulations/ Approval Process Handbook
- a. Non-Submission/ Submission of incomplete application for Extension of Approval
 - b. Non-Fulfilment of the requirement of qualified Principal/ Director
 - c. Non-Fulfilment of Faculty: Student ratio, not adhering to the pay scales and/or qualifications prescribed for Faculty
 - d. Non-Fulfilment in Computer, Software, Internet, Printers, Laboratory Equipment, Books, Journals and Library facilities requirements, etc.
 - e. Non-Fulfilment of Essential requirements for Technical Institution
 - f. Non-Fulfilment of Location/ Built-up Area/ Land as specified in the Approval Process Handbook at the time of year of establishment or the current Academic Year
 - g. Excess admission
 - h. Charging excess fee than the fee prescribed by the concerned State/ Fee Regulatory Committee
 - i. Institutions not allowing Expert Visit Committee for physical verification of Infrastructural facilities/ Institutions not having Occupancy Certificate/ Completion Certificate/ Building License/ Form D/ Barrier free environment/ Institutions Deemed to be Universities not having NAD/ Institutions demanding for the Original Degree Certificates from the Faculty members at the time of joining the Institution
 - j. Violation of norms of admission by the Institutions/ Universities conducting PGDM/ PGCM Courses/ PGDM Institutions not having NAD or Institutions offering PGDM Course(s) in Regular or ODL mode not uploading student enrollment data and list of students completed the Course(s) successfully along with their CGPA/ % of marks in the AICTE Web-Portal
 - k. The Institutions violating the Regulations/ Approval Process Handbook as above shall be liable to any one or more of the following punitive actions as specified in the Approval Process Handbook, by the Council:
 - i. Suspension of approval for NRI and supernumerary seats for one Academic Year
 - ii. Five times the total fees collected per student shall be levied against each excess admission
 - iii. Reduction in “Approved Intake”
 - iv. No admission in one/ more Course(s) for one Academic Year
 - v. Not eligible to receive any grant from AICTE
 - vi. Withdrawal of approval for Programme(s)/ Course(s)
 - vii. Withdrawal of approval of the Institution
 - viii. Withdrawal of graded autonomy granted by the Council

The Council may initiate penal action for not regularizing and ensuring the timely and full payment of the salary of the Staff through Electronic Clearing Service (ECS) by nationalized banks.
- 11.5 Institutions not following the guidelines issued by the Council regarding refund of fee for cancellation of admission or delaying refunds/ violating the norms in case of Collaboration and Twinning Programmes shall be liable to punitive actions as specified in the Approval Process Handbook by the Council.
- 11.6 AICTE shall initiate appropriate penal action, if Plagiarism is found in the academic, research, project work, journal publication, etc. of the Institutions. Each Institution shall have a Plagiarism Software to check the integrity of the work of the students and Faculty by ensuring that all content is unique.
- 11.7 If any of the information mentioned in the Affidavit is proved as false, legal action including penal action shall be initiated on the deponent.
- 11.8 In case of Institutions where FDRs were encashed before the date of maturity or not depositing the required Security Deposit at the time of LoA, a penalty of 10% of the value of the FDR shall be imposed. However, Institutions that had not created FDR/created FDR

for lesser duration/ lesser amount than prescribed at the time of LoA have to create the same accordingly as specified in the Approval Process Handbook.

11.9 Penalty amount shall be paid online to the Council as per the instructions.

12 **Complaint Cases**

All Institutions shall have Grievance Redressal mechanism as notified by the Council.

In case of receipt of any complaint(s) about an Institution, the same shall be processed by Public Grievance Redressal Cell (PGRC), AICTE.

The complaint shall be placed before a Standing Complaint Scrutiny Committee (SCSC) and the Complainant may be called (at his/ her own cost), if necessary. Based on the recommendation of SCSC, a warning or Show Cause Notice may be issued to the Institution or EVC may be conducted and processed further as per Clause 6.3.b of these Regulations. If necessary, the complainant may be called to appear before Standing Hearing Committee at his/ her own cost.

As per CVC guidelines Anonymous/ Pseudonymous complaints shall not be processed.

13 **Implementation of punitive action**

Under extraordinary circumstances, if Punitive action (except fine) is approved by the Council beyond 30th April of the Calendar year, the same shall be implemented for the next Academic Year only.

In an extraordinary circumstance, to implement the withdrawal of approval in the current Academic Year, students admitted shall be shifted to the nearby AICTE approved Institutions in consultation with the concerned University/ Board/ State Government/ UT.

14 **Procedure for restoration against punitive action except in case of Withdrawal of Approval**

Institutions shall have to make an application for restoration of intake and the same shall be processed as specified in the Approval Process Handbook.

15 **TER Charges for conducting an additional Scrutiny/ Expert Visit/ Standing Hearing/ Standing Appellate Committee**

In an extraordinary circumstance, if an additional Scrutiny/ Expert Visit Committee has to be conducted inclusive of the Court directions to any type of Institutions, the Applicant has to pay the TER Charges as specified in the Approval Process Handbook.

In an extraordinary circumstance, if an additional Standing Hearing Committee/ Standing Appellate Committee has to be conducted based on the Court directions to any type of Institutions, then the Applicant has to pay the TER Charges as specified in the Approval Process Handbook.

16 **Social Responsibility**

As a part of discharging social responsibilities, all Technical Institutions approved by the Council are expected to conduct National Skill Qualification Framework (NSQF) complied Skill Development Courses to give training to a minimum of 120 students per year. These Programmes shall be conducted based on the needs of the local community where the Institution is located.

17 **Conduct of any other Academic Courses**

The Institutions may conduct Academic Courses of any other Regulatory Body using the existing facilities in excess or by creating additional facilities as per the provisions laid down in the norms and standards of the respective Regulatory Body without affecting the quality of education prescribed by both the Regulatory Bodies after taking NOC from the Council following the procedure specified in the Approval Process Handbook. However, the Applicant has to make Material/ Non-Material amendment of the Building Plan, Site Plan, etc. approved by the concerned Competent Authority to suit the requirements of the new Programme.

18 **Power delegated to Chairman of AICTE**

Council has delegated the power to the Chairman of AICTE for taking decision on urgent matters that needs to be communicated to the Institutions in between period of two

Executive Committee/ Council meetings. However, such cases shall be placed before the next Executive Committee/ Council for ratification.

19**Interpretation**

Any question arising out of the interpretation of these Regulations shall be decided by the Council and the decision of the Council shall be binding and final.

20**Power to relax**

The Council shall in exceptional cases, for removal of any hardship or in the national interest or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of Institutions.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/Exty./433/19]